

The Indian Stamp (Madhya Pradesh Amendment) Act, 1958

Act 18 of 1958

Keyword(s):

Central Act Amendment, Indian Stamp Act, Stamp

Amendments appended: [8 of 2011](#), [2 of 2015](#), [22 of 2017](#), [17 of 2022](#), [18 of 2025](#)

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



The Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958

Act 18 of 1958

Keyword(s):

Cadre of Higher Judicial Service, Supernumerary Cadre of Additional District Judges, Value

Amendments appended: 35 of 2011, 16 of 2014

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

MADHYA PRADESH ACT

No. 18 of 1958

THE INDIAN STAMP (MADHYA PRADESH AMENDMENT) ACT, 1958**TABLE OF CONTENTS**

Sections	Page
1. Short title and commencement.	31
2. Amendment of Central Act.	31
3. Continuance of stamps of old denominations.	33

MADHYA PRADESH ACT

(No. 18 of 1958)¹

THE INDIAN STAMP (MADHYA PRADESH AMENDMENT) ACT, 1958

(Received the assent of the Governor on the 17th July, 1958; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette" on the 1st August, 1958.)

An Act further to amend the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899), in its application to the State of Madhya Pradesh.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Ninth Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Madhya Pradesh Amendment) Act, 1958. Short title and commencement.

(2) It shall come into force on such date² as the State Government may, by notification, direct.

2. The following amendments shall be made in the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899) in its application to the State of Madhya Pradesh in so far as it relates to matters with respect to which the State Legislature has power to make laws, namely :—

- (a) in sub-section (1) of section 4 and in the proviso to section 6 for the words "one rupee and eight annas," the words "one rupee and fifty naye paise, shall be substituted;
- (b) in clause (a) of section 11 and in clause (c) of the proviso to sub-section (3) of section 32, for the words "one anna or half an anna," the words "ten naye paise or five naye paise" shall be substituted;
- (c) in sub-section (1) of section 31 for the words "eight annas," the words "fifty naye paise" shall be substituted;
- (d) in section 53 and 54 for the words "one anna," the words "six naye paise" shall be substituted;
- (e) in clause (b) of section 69 for the words and brackets "one anna (or half an anna)," the words and brackets "ten naye paise (or five naye paise)" shall be substituted;
- (f) in section 78 for the words "four annas," the words "twenty five naye paise" shall be substituted;
- (g) in Schedule I-A,—
 - (i) except in clauses (a) and (b) of article 5 and in articles [27] and 62, for the words mentioned in column (1) of the table below wherever occurring, whether in conjunction with any other words or otherwise, the words mentioned in the corresponding entries in column (2) thereof shall be substituted, namely :—

TABLE

(1)	(2)
One and a half annas	Fifteen naye paise.
one and a half annas	fifteen naye paise.
Two annas	Fifteen naye paise.
two annas	fifteen naye paise.

1. For Statement of Objects and Reasons (in English) see "Madhya Pradesh Gazette" Extra-ordinary dated 7th April 1958, page 524 and (in Hindi) 528. For proceedings in Assembly see Madhya Pradesh Vidhan Sabha Proceedings 1958, Volume III pages 2769 to 2786.
2. 1st October 1958, see Govt. of M.P., S.R. Department Notification No. 61-V-S.R, dated the 26th August 1958, published in the "Madhya Pradesh Gazette", dated the 12th September 1958, Part I at Page 878.

(1)

(2)

Three annas	Twenty naye paise.
three annas	twenty naye paise
Four annas	Twenty-five naye paise
four annas	twenty-five naye paise.
Five annas	Thirty-five naye paise
five annas	thirty-five naye paise
Six annas	Forty naye paise
six annas	forty naye paise
Eight annas	Fifty naye paise
eight annas	fifty naye paise
Ten annas	Sixty-five naye paise
ten annas	sixty-five naye paise
Twelve annas	Seventy-five naye paise
twelve annas	seventy-five naye paise

(ii) in article 6 —

(a) for paragraphs (i), (ii) and (iii) of sub-clause (a) and for sub-clause (b) of clause 2, the following paragraphs and sub-clause shall be substituted, namely —

	Rs.	If drawn singly	If drawn in set of		If drawn in set of	
			two for each part of the set	Rs. np.	two for each part of the set	Rs. np.
(i) when the amount of the loan or debt does not exceed Rs. 100	0 25		0 15		0 10	
(ii) when the amount of the loan or debt exceeds Rs. 100 but does not exceed Rs. 200.	0 40		0 25		0 10	
(iii) when it exceeds—						
	Rs.	Rs.	Rs.	np.	Rs.	np.
	200 but does not exceed	400	0 75		0 35	0 25
	-Do-	600	1 10		0 60	0 35
	600 -Do-	800	1 50		0 75	0 50
	800 -Do-	1,000	1 85		1 00	0 60
	1,000 -Do-	1,200	2 25		1 10	0 75
	1,200 -Do-	1,600	3 00		1 50	1 00
	1,600 -Do-	2,500	4 50		2 25	1 50
	2,500 -Do-	5,000	9 00		4 50	3 00
	5,000 -Do-	7,500	13 35		6 75	4 50
	7,500 -Do-	10,000	18 00		9 00	6 00
	Rs.	Rs.	Rs.	np.	Rs.	np.
	10,000 but does not exceed	15,000	27 00		13 50	9 00
	-Do-	20,000	36 00		18 00	12 00
	20,000 -Do-	25,000	45 00		22 50	15 00
	25,000 -Do-	30,000	54 00		27 00	18 00
	and for every additional Rs. 10,000 or part thereof in excess of Rs. 30,000.		18 00		9 00	6 00

(b) if such loan or debt is repayable not more than three months from the date of such instrument—

	Rs.	np.	Rs.	np.	Rs.	np.
	0	15	0	10	0	5
(i) when the amount of the loan or debt does not exceed Rs. 100.	0	20	0	15	0	5
(ii) when the amount of the loan or debt exceeds Rs. 100 but does not exceed Rs. 200.						
(iii) when it exceeds—						

Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
200 but does not exceed 400	0 40	0 20	0 15
400 -Do- 600	0 55	0 30	0 20
600 -Do- 800	0 75	0 40	0 25
800 -Do- 1,000	0 95	0 50	0 30
1,000 -Do- 1,200	1 15	0 55	0 40
1,200 -Do- 1,600	1 50	0 75	0 50
1,600 -Do- 2,500	2 25	1 15	0 75
2,500 -Do- 5,000	4 50	2 25	1 50
5,000 -Do- 7,500	6 70	3 40	2 25
7,500 -Do- 10,000	9 00	4 50	3 00
10,000 -Do- 15,000	13 50	6 75	4 50
15,000 -Do- 20,000	18 00	9 00	6 00
20,000 -Do- 25,000	22 50	11 25	7 50
25,000 -Do- 30,000	27 00	13 50	9 00

and for every additional Rs. 10,000 or part thereof in excess of Rs. 30,000 9 00 4 50 3 00;" and

(iii) in paragraph (ii) of article 33, in column (2) for the letters and figures "Rs. 13-5-0" the letters and figures "Rs. 13.35 np." shall be substituted.

3. The stamps denoting the fees chargeable under this Act in old denominations shall continue to be valid for a period of six months from the date of commencement of the Indian Stamps (Madhya Pradesh Amendment) Act, 1958 (18 of 1958) to the same extent to which they would have been valid, if the said Act had not been passed.

Continuance of stamps of old denominations.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 194]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 31 मार्च 2011—चैत्र 10, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2011

क्र. 2086-126-इक्कीस-अ-(प्रा).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 31 मार्च 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव।

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ८ सन् २०११

भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०११

[दिनांक ३१ मार्च, २०११ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में दिनांक ३१ मार्च, २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई।]

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०११ है।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को, इसमें इसके पश्चात् उपर्युक्त रीति में संशोधित किया जाए।

मध्यप्रदेश राज्य को
लागू हुए रूप में
केन्द्रीय अधिनियम,
१८९९ का संब्लांक
२ का संशोधन।

अनुसूची १-क का
संशोधन.

३. मूल अधिनियम की अनुसूची १-क में—

(एक) अनुच्छेद ५ में, खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(घ) यदि वह ऐसी भूमि के स्वामी या पट्टेदार से करार में यथा वर्णित प्रस्तावित निर्माण या विकास के भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा भूमि के विकास या प्राक्कलित व्यय के बराबर बाजार मूल्य का तीन प्रतिशत.”; उस पर भवन के निर्माण से संबंधित है।

(दो) अनुच्छेद २२ में, कालम २ में, परन्तुक में, खण्ड (छ) का लोप किया जाए;

(तीन) अनुच्छेद ४५ में, खण्ड (घ) में उपखण्ड (एक) के सामने, कालम (२) में, शब्द, “एक सौ रुपए” के स्थान पर, शब्द, “एक हजार रुपए” स्थापित किए जाएं।

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2011

क्र. 2087-126-इक्कीस-अ-(प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३) के अनुसरण में भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव।

MADHYA PRADESH ACT
No. 8 OF 2011

THE INDIAN STAMP (MADHYA PRADESH AMENDMENT) ACT, 2011

[Received the assent of the Governor on the 31st March, 2011; assent first published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)”, dated the 31st March, 2011.]

An Act further to amend the Indian Stamp Act, 1899 in its application to the State of Madhya Pradesh.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2011.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Amendment of Central Act No. 2 of 1899 in its application to the State of Madhya Pradesh.

Amendment of Schedule I-A.

3. In Schedule 1-A to the principal Act,—

(i) in Article 5, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely :—

“(d) If relating to the development of land or construction of a building on a land by a person other than the owner or lessee of such land.

Three percent on the market value equal to the Estimated cost of the proposed construction or development as mentioned in the agreement.”;

(ii) in Article 22, in column (2), in the proviso, clause (g) shall be omitted;

(iii) in Article 45, in clause (d), against sub-clause (i), in column (2), for the words “One hundred rupees”, the words “One thousand rupees” shall be substituted.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 7 जनवरी 2015—पौष 17, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2015

क्र. 149-5-इकीस-अ (प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 6 जनवरी, 2015 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
परितोष कुमार तिवारी, उपसचिव।

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २ सन् २०१५

भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१५

दिनांक ६ जनवरी, २०१५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में दिनांक ७ जनवरी, २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित की गई।

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१४ है।	संक्षिप्त नाम।
२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का सं. २) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए।	मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८९९ का संख्यांक २ का संशोधन।
३. मूल अधिनियम की धारा ३ में, प्रथम परन्तुक में, शब्द “अनुसूची में समाविष्ट अपवादों के अध्यधीन रहते हुए” का लोप किया जाए।	धारा ३ का संशोधन।
४. मूल अधिनियम की अनुसूची १-क के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :— “अनुसूची १-क	अनुसूची १-क का स्थापन।

लिखतों पर स्टाम्प शुल्क (धारा ३ देखिए)

लिखतों का वर्णन (१)	उचित स्टाम्प शुल्क (२)
१. अभिस्वीकृति किसी ऋण की रकम या मूल्य में पांच सौ रुपये से अधिक की जो ऋणी द्वारा या उसकी ओर से किसी बही में (जो बैंककार की पासबुक से भिन्न है) या किसी पृथक् कागज के टुकड़े पर, लिखी जाय या हस्ताक्षरित की जाए, जबकि ऐसी बही या कागज लेनदार के कब्जे में छोड़ दिया गया हो।	दस रुपये।
२. अभिस्वीकृति किसी ऐसे अन्य विलेख के लेखे प्रतिफल के भुगतान को प्राप्ति की, जिसे पूर्व में रजिस्ट्रीकृत किया गया है।	पांच हजार रुपए।
३. प्रशासन बंधपत्र, जिसके अन्तर्गत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, १९२५ (१९२५ का ३९) की धारा २९१, ३७५ और ३७६ तथा गवर्मेंट सेविंग्स बैंक एक्ट, १८७३ (१८७३ का ५) की धारा ६ के अधीन दिया गया बंधपत्र है।	वही शुल्क जो ऐसी रकम के लिये बंधपत्र (क्र. १४) पर लगता है।
४. दत्तक विलेख, अर्थात् कोई लिखत (वसीयत से भिन्न) जो दत्तक-ग्रहण के अभिलेख स्वरूप है या दत्तक-ग्रहण के लिए प्राधिकार प्रदत्त करती है या प्रदत्त करने के लिए तात्पर्यित है।	दो हजार रुपये।

(१)

(२)

५. शपथ-पत्र अर्थात् लिखित में किया गया कोई कथन जो तथ्यों के कथन के लिये तात्पर्यित है जो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित है और जिसकी पुष्टि उसके द्वारा शपथ पर या उन व्यक्तियों के मामले में जिन्हें विधि द्वारा घोषणा करने के लिए अनुज्ञात किया गया है, प्रतिज्ञान द्वारा की गई है।

६. करार या करार का ज्ञापन—

(क) यदि वह विनिमय-पत्र के विक्रय से संबंधित है;

(ख) (एक) यदि वह सरकारी प्रतिभूति के क्रय या विक्रय से संबंधित है;

(दो) यदि वह किसी निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय में के शेयर, स्क्रिप, बंध-पत्र, डिबेन्चर, डिबेन्चर-स्टाक या इसी प्रकार की विपण्य प्रतिभूति के क्रय या विक्रय से संबंधित है।

(ग) यदि वह किसी विनिर्माता या किसी कारबार, व्यवहार ज्ञान, ब्रांड नाम, व्यापार चिन्ह (ट्रेड मार्क) या इसी प्रकार के किसी अन्य कारबार के स्वामी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे विनिर्माता या कारबार के स्वामी के व्यवहार ज्ञान, ब्रांड नाम व्यापार चिन्ह (ट्रेड मार्क) आदि का उपयोग करते हुए कारबार या अन्य क्रियाकलाप करने की दी गई अनुज्ञा से संबंधित है, अर्थात् फ्रेंचाइज का करार है।

(घ) यदि वह भूमि के स्वामी या पट्टेदार से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उस भूमि के विकास एवं /अथवा उस पर भवन के निर्माण से संबंधित है—

(एक) यदि उसमें यह अनुबंध हो कि विकास के पश्चात् ऐसी विकसित सम्पत्ति या उसका भाग विकासकर्ता, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, स्वामी/पट्टेदार के साथ या तो पृथक्तः या तो संयुक्तः धारित/विक्रय किया जाएगा—

(दो) उपरोक्त (एक) के अंतर्गत न आने वाले मामलों के लिए।

पचास रुपये।

प्रत्येक १०,००० रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया। अधिकतम पांच हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए, प्रतिभूति के यथास्थिति, क्रय या विक्रय के समय उसके मूल्य के प्रत्येक १०,००० रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया।

अपरिदान आधारित संव्यवहारों के मामले में, यथास्थिति, उनके क्रय या विक्रय के समय प्रतिभूति के मूल्य के प्रत्येक एक लाख या उसके भाग के लिए दो रुपये; तथा परिदान आधारित संव्यवहारों के मामले में प्रत्येक १०,००० रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया।

दस हजार रुपए।

वही शुल्क, जो विकसित किये जाने के लिए प्रस्तावित सम्पूर्ण भूमि के केवल उस भाग के बाजार मूल्य के हस्तांतरण पत्र (क्रमांक २५) पर लगता है जो कि विकासकर्ता द्वारा संयुक्तः या पृथक्तः धारित/विक्रीत की जाने वाली विकसित सम्पत्ति के अनुपात में हो, या उस शुल्क का आधा जो विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित सम्पूर्ण भूमि के बाजार मूल्य के हस्तांतरण पत्र (क्रमांक २५) पर लगता है, इनमें से जो भी अधिक हो,

न्यूनतम एक हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए, विकास के लिए प्रस्तावित सम्पूर्ण भूमि के बाजार मूल्य का ०.२५ प्रतिशत।

(१)

(२)

स्पष्टीकरण।—इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए—

(एक) 'विकास' एवं 'विकासकर्ता' का वही अर्थ होगा जो मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) की धारा २ (च) एवं मध्यप्रदेश स्पेशल प्रोजेक्ट एण्ड टाउनशिप, (विकास, विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, २०११ के नियम २(१)(ख) में क्रमशः उनके लिए दिया गया है।

(दो) जहां संपत्ति संयुक्तः धारित/बिक्रीत की जाती हो, परन्तु दस्तावेज में विकासकर्ता का अंश अभिव्यक्त रूप से उल्लिखित न हो, वहां विकासकर्ता का अंश १०० प्रतिशत समझा जाएगा।

(ड) यदि वह स्थावर संपत्ति के विक्रय से संबंधित है—

(एक) जब संपत्ति का कब्जा हस्तांतरण-पत्र निष्पादित किए बिना परिदृष्ट किया जाता है या परिदृष्ट किए जाने का करार किया जाता है;

(दो) जब संपत्ति का कब्जा नहीं दिया जाता है;

(च) यदि वह स्थावर संपत्ति के भाड़ा-क्रय से संबंधित हो;

(छ) यदि किसी उधार या ऋण के पुनर्भुगतान को प्रतिभूत करने से संबंधित हो;

(ज) यदि अन्यथा उपर्युक्त नहीं किया गया हो।

७. **हक-विलेखों के निश्चेप, पण्यम, गिरवी या आड़मान से संबंधित करार अर्थात् निम्नलिखित से संबंधित करार को साक्षियत करने वाली कोई लिखत—**

(क) ऐसे हक-विलेखों या लिखतों का निश्चेप जिससे किसी संपत्ति पर (विपण्य प्रतिभूति से भिन्न) हक का साक्ष हो जाता है, जहां कि ऐसा निश्चेप, उधार में अग्रिम दिये गये या दिये जाने वाले धन के अथवा वर्तमान या भावी ऋण के चुकाए जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में किया गया है;

(ख) जंगम संपत्ति का पण्यम, गिरवी या आड़मान, जहां ऐसा पण्यम, गिरवी या आड़मान उधार में अग्रिम दिये गये या दिये जाने वाले धन के अथवा वर्तमान या भावी ऋण के चुकाए जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में किया गया है।

वही शुल्क जो संपत्ति के बाजार मूल्य के लिए हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है।

एक हजार रुपए।

वही शुल्क जो संपत्ति के बाजार मूल्य के लिए हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है

अधिकतम पांच लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए, उधार या ऋण की रकम का ०.२५ प्रतिशत।

पांच सौ रुपए।

अधिकतम पांच लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम का ०.२५ प्रतिशत।

अधिकतम पांच लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए, उधार या ऋण की रकम का ०.२५ प्रतिशत।

(१)

(२)

स्पष्टीकरण-एक—उधार में अग्रिम दिए गए या दिए जाने वाले धन के अथवा वर्तमान या भावी ऋण के चुकाए जाने के लिए हक-विलेखों के निश्चेप अथवा पण्यम, गिरवी या आड़मान की उच्चतर रकम की प्रतिभूति से संबंधित लिखत पर केवल अतिरिक्त रकम पर शुल्क प्रभार्य होगा, यदि पूर्व लिखत पर पर्याप्त स्टाम्प शुल्क चुका दिया गया है।

स्पष्टीकरण-दो—इस अनुच्छेद के खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए, किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश में या किसी प्राधिकारी के आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, हक-विलेखों के निश्चेप से संबंधित किसी पत्र, टिप्पण, ज्ञापन या लेख को चाहे वह हक-विलेखों के निश्चेप किये जाने के पूर्व या ऐसे निश्चेप के समय या उसके पश्चात् लिखा गया है या बनाया गया है, और चाहे वह प्रथम उधार के लिए या बाद में लिये गये किसी अतिरिक्त उधार या उधारों के लिए प्रतिभूति के संबंध में हो, ऐसे पत्र, टिप्पण, ज्ञापन या लेख को ऐसे हक-विलेखों के निश्चेप से संबंधित किसी पृथक् करार या करार के ज्ञापन के अभाव में, हक-विलेखों के निश्चेप से संबंधित करार को साक्षित करने वाली, लिखत समझा जायेगा।

८. मुख्तारनामा के निष्पादन में, न्यासियों का नियुक्त किया जाना या जंगम या स्थावर संपत्ति पर नियोजन, जहां वह ऐसी लिखत में जो वसीयत न हो, किया गया हो;

पांच सौ रुपये।

९. आंकना या मूल्यांकन, जो किसी वाद के अनुक्रम में न्यायालय के आदेश के अधीन न किया जाकर अन्यथा किया गया है।

पांच सौ रुपये।

१०. शिक्षुता विलेख, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ऐसा लेख है, जो किसी ऐसे शिक्षु, लिपिक या सेवक की सेवा या अध्यापन से संबंधित है जो किसी मास्टर के पास किसी वृत्ति, व्यापार या नियोजन को सीखने के लिये रखा गया है;

दो सौ रुपये।

११. कम्पनी के अनुच्छेद—

पांच हजार रुपये।

(क) जहां कम्पनी के पास अंशपूँजी (शेयर केपीटल) नहीं है;

(ख) जहां कंपनी के पास अभिहित अंशपूँजी है या अंश पूँजी बढ़ाई गई है;

न्यूनतम पांच हजार रुपए तथा अधिकतम पच्चीस लाख रुपए के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी अभिहित या बढ़ाई गई अंशपूँजी का ०.१५ प्रतिशत।

पंचाट की रकम या पंचाट से संबंधित संपत्ति के बाजार मूल्य का, इनमें से जो भी अधिक हो, २ प्रतिशत।

१२. पंचाट अर्थात् वाद के अनुक्रम में न्यायालय के आदेश से अन्यथा किये गये किसी निर्देश में मध्यस्थ या अधिनिर्णायक द्वारा दिया गया कोई लिखित विनिश्चय जो वर्तमान या भविष्य

(१)

(२)

के मतभेदों को माध्यस्थम को प्रस्तुत करने के लिए लिखत करार के फलस्वरूप किया गया पंचाट है तथा जो विभाजन का निदेश देने वाला पंचाट नहीं है;

१३. बैंक प्रत्याभूति, किसी बैंक द्वारा संविदा के सम्यक् अनुपालन या दायित्व के सम्यक् निर्वहन को प्रतिभूत करने के लिए प्रतिभूत के रूप में निष्पादित प्रत्याभूति विलेख.

१४. बंधपत्र, जो डिबेंचर नहीं है तथा जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० (१८७० का ७) द्वारा अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है;

१५. पोत बंधपत्र, अर्थात् कोई लिखत जिसके द्वारा समुद्रगामी पोत का मास्टर पोत की प्रतिभूति पर धन उधार लेता है जिससे वह पोत का परिरक्षण करने में तथा उसकी समुद्र-यात्रा को अग्रसर करने में समर्थ हो सके.

१६. पूर्व में रजिस्ट्रीकृत किसी दस्तावेज को रद्द करने की लिखत यदि वह अनुप्रमाणित है और उसके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है.

स्पष्टीकरण-एक—यदि मूल लिखत पर स्टाम्प शुल्क मूल्य के आधार पर भुगतान किया गया हो, तो रद्द करने की लिखत पर शुल्क मूल लिखत के अनुसार प्रभार्य होगा.

स्पष्टीकरण-दो—यदि मूल लिखत पर स्टाम्प शुल्क बाजार मूल्य के आधार पर भुगतान किया गया हो, तो रद्द करने की लिखत पर शुल्क प्रचलित बाजार मूल्य पर मूल लिखत के अनुसार प्रभार्य होगा.

१७. मध्यप्रदेश राज्य विधिज्ञ परिषद् (बार काउंसिल) द्वारा, अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ (१९६१ का २५) की धारा २२ के अधीन जारी किया गया नामांकन प्रमाण-पत्र.

१८. नोटरी अधिनियम, १९५२ (१९५२ का ५३) की धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन नोटरी के रूप में व्यवसाय करने का प्रमाण-पत्र या उक्त धारा की उपधारा (२) के अधीन ऐसे प्रमाण-पत्र के नवीकरण का पृष्ठांकन.

१९. ऐसी प्रत्येक संपत्ति के बारे में, जो अलग लाट में नीलाम पर चढ़ाई गई है और बेची गई है, का विक्रय प्रमाण-पत्र, जो लोक नीलाम द्वारा बेची गई संपत्ति के क्रेता को किसी सिविल या राजस्व न्यायालय या कलवटर या अन्य राजस्व अधिकारी या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा दिया गया है।

अधिकतम पच्चीस हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए, रकम का ०.२५ प्रतिशत.

(क) न्यूनतम पांच सौ रुपए के अध्यधीन रहते हुए, प्रतिभूत रकम या मूल्य का ०.५ प्रतिशत.

(ख) जहां मूल्यांकन संभव नहीं है, वहां पांच सौ रुपए.

वही शुल्क जो उतनी ही रकम के बंधपत्र (क्र. १४) पर लगता है।

पांच सौ रुपए

एक हजार रुपए.

दो हजार रुपए.

वही शुल्क जो केवल क्रय धन की रकम के लिए हस्तांतरण पत्र (क्र. २५) पर लगता है।

(१)

(२)

२०. प्रमाण-पत्र या अन्य दस्तावेज जो उसके धारक के किसी अन्य व्यक्ति की किसी निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय में के या उसके किन्हीं शेयरों, स्क्रिप्ट या स्टॉक संबंधी अधिकार या हक को या किसी ऐसी कम्पनी या निकाय में के या उसके शेयरों, स्क्रिप्ट या स्टॉक का स्वतंत्रधारी होने संबंधी अधिकार या हक को साक्षियत करता है।

२१. भाड़े पर पोत लेने की संविदा, अर्थात् (कर्षवाप नौका के भाड़े संबंधी करार के सिवाय) कोई लिखत, जिसके द्वारा कोई जलयान या उसका कोई विनिर्दिष्ट प्रमुख भाग भाड़े की संविदा करने वाले के विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए भाड़े पर दिया जाता है, चाहे उस लिखत में शास्ति खण्ड हो या न हो।

२२. समाशोधन सूची—

(क) यदि वह किसी स्टॉक एक्सचेंज के समाशोधन गृह को प्रस्तुत सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय के संव्यवहारों से संबंधित है;

(ख) यदि वह किसी स्टॉक एक्सचेंज के समाशोधन गृह को प्रस्तुत किसी निगमित कंपनी या निगमित निकाय में के शेयर, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, डिबेंचर-स्टॉक या इसी प्रकार की अन्य विपण्य प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय के संव्यवहारों से संबंधित है।

२३. प्रशमन विलेख, अर्थात् किसी ऋणी द्वारा निष्पादित कोई लिखत जिसके द्वारा वह अपने लेनदारों के फायदे के लिए अपनी संपत्ति हस्तांतरित करता है या जिसके द्वारा उनके ऋणों पर प्रशमन-धन या लाभांश का संदाय लेनदारों को प्रतिभूत किया जाता है या जिसके द्वारा लेनदारों द्वारा नाम-निनिर्दिष्ट निरीक्षकों के पर्यवेक्षण के अधीन या अनुज्ञा-पत्रों के अधीन ऋणी के कारबार को उसके लेनदारों के फायदे के लिए चालू रखने के लिए उपबंध किया जाता है।

२४. किसी प्रतिफल के बिना सहमति विलेख जो पूर्व में रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले किसी दस्तावेज का भाग बन गया है।

२५. हस्तान्तरण-पत्र, जो ऐसे अंतरण के लिए नहीं है, जिसके लेखे क्रमांक ६१ के अधीन प्रभार लगता है या छूट दी गई है।

शेयरों, स्क्रिप्ट या स्टॉक के मूल्य के प्रत्येक एक हजार रुपए या उसके भाग के लिए एक रूपया।

एक सौ रुपए।

अधिकतम पांच हजार रुपए के अधीन रहते हुए, ऐसी सूची की प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में प्रतिभूतियों के उस मूल्य पर जो यथास्थिति, मिलान (Making-up) कीमत या संविदा कीमत पर संगणित की गई है, के प्रत्येक १०,००० रुपये या उसके भाग के लिए एक रूपया।

अपरिदान आधारित संव्यवहारों के मामले में यथास्थिति, उनके क्रय या विक्रय के समय प्रतिभूति के मूल्य के प्रत्येक एक लाख या उसके भाग के लिए दो रुपये; तथा परिदान आधारित संव्यवहारों के मामले में प्रत्येक १०,००० रुपये या उसके भाग के लिए एक रूपया।

दो हजार पांच सौ रुपये।

एक हजार रुपये।

उस संपत्ति के जो कि हस्तान्तरण-पत्र की विषय वस्तु है, बाजार मूल्य या उसमें उपर्युक्त प्रतिफल की रकम का, इनमें से जो भी अधिक हो, का पांच प्रतिशत।

परन्तु—

(क) जहां कोई लिखत कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ का १८) की धारा २३२ एवं २३४ के अधीन अधिकरण-न्यायालय के आदेशों के अधीन या बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४९ (१९४९ का १०) की धारा ४४-के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के आदेशों के अधीन कंपनियों के विलीनीकरण या समाप्तेलन से संबंधित हो, वहां प्रभार्य शुल्क, उस अंतरित स्थावर संपत्ति, जो कि

स्पष्टीकरण:—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिये किसी संपत्ति का, जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किसी हस्तान्तरण पत्र की विषय-वस्तु है, बाजार मूल्य वह मूल्य होगा जो लिखत में दर्शाया गया है।

(१)

(२)

मध्यप्रदेश राज्य के भीतर स्थित है, के बाजार मूल्य के ५ प्रतिशत के बराबर रकम या ऐसे अंतरण के विनिमय में या अन्यथा जारी या आवंटित शेयरों के बाजार मूल्य तथा ऐसे अंतरण के लिए संदत्त प्रतिफल की रकम के योग का ०.५ प्रतिशत, इसमें से जो भी अधिक हो, होगा;

(ख) जब कोई लिखत किसी ऋण के समनुदेशन से संबंधित हो, शुल्क की दर समनुदेशित ऋण की रकम का ०.२५ प्रतिशत होगी;

(ग) जहां किसी स्थावर संपत्ति का विक्रय करने के लिए करार किसी हस्तांतरण-पत्र के लिये अपेक्षित मूल्यानुसार शुल्क से स्टाम्पित किया गया हो तथा ऐसे करार के अनुसरण में कोई विक्रय-पत्र तत्पश्चात् निष्पादित किया जाता है, वहां ऐसे विक्रय-पत्र पर शुल्क न्यूनतम १००० रुपये के अध्यधीन रहते हुए पूर्व में संदत्त शुल्क को कम करके इस अनुच्छेद के अधीन देय शुल्क होगा;

(घ) जहां किसी अभिकर्ता को स्थावर संपत्ति का विक्रय करने के लिए प्राधिकृत करने का मुख्तारनामा किसी हस्तांतरण-पत्र के लिये अपेक्षित मूल्यानुसार शुल्क से स्टाम्पित किया गया हो तथा ऐसे मुख्तारनामे के अनुसरण में, मुख्तारनामे के निष्पादक तथा उस व्यक्ति, जिसके पक्ष में इसे निष्पादित किया गया है, के मध्य कोई विक्रय-पत्र निष्पादित किया जाता है, वहां ऐसे विक्रय-पत्र पर शुल्क, न्यूनतम १००० रुपये के अध्यधीन रहते हुए, पूर्व में संदत्त शुल्क को कम करके इस अनुच्छेद के अधीन देय शुल्क होगा;

(ङ) जहां कोई बंधक विलेख या कोई बंधक करार अनुच्छेद ४३ के अधीन किसी बंधक के लिए अपेक्षित मूल्यानुसार शुल्क से स्टाम्पित है, तथा बंधक संपत्ति या किसी बंधक विलेख के विरुद्ध फाईल किये गये किसी बाद के अनुसरण में कोई न्यायालयीन डिक्री निष्पादित की जाती है, वहां ऐसी डिक्री या बंधक विलेख पर देय शुल्क, न्यूनतम रुपये १००० के अध्यधीन रहते हुए, अनुच्छेद ४३ के अधीन ऐसे बंधक-विलेख पर पूर्व में संदत्त शुल्क को कम करके इस अनुच्छेद के अधीन देय शुल्क होगा;

(च) जहां किसी लिखत द्वारा कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति में अपनी पत्नी या पुत्री या पुत्रवधु का नाम पृथकतः या संयुक्ततः सहस्वामी के रूप में सम्मिलित करता है, वहां शुल्क की दर संपत्ति के बाजार मूल्य का एक प्रतिशत होगी।

२६. प्रति या उद्धरण, जिसकी बाबत भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ (१८७२ का १) की धारा ७६ के अधीन किसी लोक अधिकारी या उसके आदेश से यह प्रमाणित किया गया है कि वह सही प्रति या उद्धरण है और जो न्यायालय फीस से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्रभार्य नहीं है।

एक सौ रुपए।

(१)

(२)

२७. किसी लिखत का, जो कि शुल्क से प्रभाव्य है और जिसके संबंध में उचित शुल्क दे दिया गया है, प्रतिलेख या दूसरी प्रति.	एक हजार रुपए
२८. सीमा शुल्क बंध-पत्र या आबकारी बंध-पत्र अर्थात् तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसरण में या सीमा या आबकारी विभाग के किसी अधिकारी के निदेशों के अनुसरण में या सीमा या आबकारी के किसी शुल्क के संबंध में या उनमें कपट या अपवर्चन को रोकने के लिए या उनसे संबंधित किसी अन्य मामले या उससे संबंधित किसी बात के संबंध में दिये गये बंध-पत्र.	वही शुल्क, जो उतनी ही रकम के बंध-पत्र (क्र. १४) पर लगता है.
२९. घोषणा मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, २००० (क्रमांक १५ सन् २००१) के अधीन.	दस हजार रुपए
३०. माल की बाबत परिदान—आदेश, अर्थात् कोई ऐसी लिखत, जो उसमें नामित किसी व्यक्ति को या उसके समनुदेशितियों या लिखत के धारक को, किसी डाक या पत्तन पर या ऐसे किसी भांडागार में जहां माल का भाटक या भाड़े पर या घाट पर भंडरण संगृहीत या निक्षेप किया जाता है, किसी माल के परिदान के लिये हकदार बनाता है, और ऐसी लिखत उसमें की संपत्ति के विक्रय या अंतरण पर, ऐसे माल के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित की गई हो, जबकि ऐसे माल का मूल्य सौ रुपये से अधिक हो.	दस रुपए
३१. विवाह-विच्छेद की लिखत, अर्थात् कोई ऐसी लिखत जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने विवाह का विघटन करता है.	एक हजार रुपए
३२. पूर्व में रजिस्ट्रीकृत विलेख को संशोधित या उसमें सुधार करने का दस्तावेज, परन्तु जिसके द्वारा कोई सारबान परिवर्तन न किया जा रहा हो.	एक हजार रुपए
३३. स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए सारबान परिवर्तन वह है, जो मूल लिखत द्वारा अभिनिश्चित पक्षकारों के अधिकारों, दायित्वों या विधिक स्थिति में फेरफार करता है या अन्यथा मूल रूप से निष्पादित लिखत के विधिक प्रभाव में फेरफार करता है.	
३४. विशेष विवाह अधिनियम, १९५४ (१९५४ का ४३) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट विवाह प्रमाण-पत्र की रजिस्टर में प्रविष्टि.	एक सौ रुपए
३५. संपत्ति के विनिमय की लिखत.	वही शुल्क जो अधिकतम मूल्य की संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर, जो विनिमय की विषय-वस्तु है, लगता है.

(१)

(२)

३५. अतिरिक्त भार की लिखत अर्थात् कोई ऐसी लिखत जो बंधक संपत्ति पर भार अधिरोपित करती है—

(क) जबकि मूल बंधक अनुच्छेद क्र. ४३ के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किये गये वर्णनों में से किसी एक वर्णन का है (अर्थात् कब्जा सहित);

(ख) जबकि ऐसा बंधक अनुच्छेद क्र. ४३ के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किये गये विवरणों में से किसी एक वर्णन का है (अर्थात् कब्जा रहित)।

(एक) यदि अतिरिक्त भार की लिखत के निष्पादन के समय, संपत्ति का कब्जा ऐसी लिखत के अधीन दे दिया गया है या दिये जाने के लिए करार किया गया है;

(दो) यदि कब्जा इस प्रकार नहीं दिया गया है।

३६. दान की लिखत जो व्यवस्थापन (क्र. ५७)या वसीयत या अंतरण (क्र. ६१) नहीं हैः—

(एक) जब कुटुम्ब के किसी सदस्य को की गई है

(दो) अन्य समस्त मामलों में

स्पष्टीकरण।—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए शब्द कुटुंब से माता, पिता, पति, पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पौत्री/नातिन एवं पौत्र/नाती अभिप्रेत होगा।

३७. क्षतिपूर्ति बंध—पत्र।

३८. पट्टा, जिसके अंतर्गत अवर-पट्टा या उप-पट्टा तथा पट्टे या उप पट्टे पर देने या किसी पट्टे का नवीकरण करने के लिए कोई करार है—

(एक) जहाँ कि पट्टा एक वर्ष से कम अवधि के लिए तात्पर्यित है;

वही शुल्क जो ऐसी लिखत द्वारा प्रतिभूत किए गए अतिरिक्त भार की रकम के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है।

वही शुल्क जो भार की, (जिसके अंतर्गत मूल बंधक और पहले किया गया कोई अतिरिक्त भार है) कुल रकम के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है, जिसमें से वह शुल्क, जो ऐसे मूल बंधक और अतिरिक्त भार पर संदत्त किया गया है, कम कर दिया जाएगा।

वही शुल्क जो ऐसी लिखत द्वारा प्रतिभूत किये गये अतिरिक्त भार की रकम के बंध पत्र (क्र. १४) पर लगता है।

उस शुल्क का आधा शुल्क, जो ऐसी संपत्ति, जो दान की विषय-वस्तु है, के बाजार मूल्य के, हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है।

वही शुल्क, जो ऐसी संपत्ति, जो दान की विषय-वस्तु है, के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है।

वही शुल्क जो उतनी ही रकम के बंध-पत्र (क्र. १४) पर लगता है।

ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय पूरी रकम या संपत्ति के बाजार मूल्य का ०.०१ प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो।

(१)

(दो) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है जो एक वर्ष से कम नहीं है किन्तु पांच वर्ष से कम है;

(तीन) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है जो पांच वर्ष से कम नहीं है किन्तु दस वर्ष से कम है;

(चार) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है जो दस वर्ष से कम नहीं है किन्तु बीस वर्ष से कम है;

(पांच) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है जो बीस वर्ष से कम नहीं है किन्तु तीस वर्ष से कम है;

(छह) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है जो तीस वर्ष या उससे अधिक है, या शाश्वतकालीन है या निश्चित कालावधि के लिए तात्पर्यित नहीं है;

स्पष्टीकरण-एक—जब पट्टा करने के करार की कोई लिखत पट्टे के लिए अपेक्षित मूल्यानुसार शुल्क से स्टाम्पित है, और ऐसे करार के अनुसरण में पट्टा तत्पश्चात् निष्पादित किया जाता है, तब न्यूनतम एक हजार रुपए के अध्यधीन रहते हुए ऐसे पट्टा विलेख पर शुल्क, पूर्व संदत्त शुल्क को कम करके, अनुच्छेद के अधीन देय शुल्क होगा।

स्पष्टीकरण-दो—जहां किसी पट्टे के संबंध में किसी दीवानी न्यायालय की डिक्री या अंतिम आदेश पट्टे के लिए अपेक्षित मूल्यानुसार शुल्क से स्टाम्पित है, और ऐसी डिक्री या अंतिम आदेश के अनुसरण में तत्पश्चात् पट्टा निष्पादित किया जाता है, तब न्यूनतम एक हजार रुपए के अध्यधीन रहते हुए ऐसे पट्टा विलेख पर शुल्क पूर्व संदत्त शुल्क को कम करके, अनुच्छेद के अधीन देय शुल्क होगा।

(२)

विलेख में यथाउपवर्णित प्रीमियम या अग्रिम दिये गए या अग्रिम दिए जाने वाले धन तथा आरक्षित किए गए औसत वार्षिक भाटक की रकम, या सम्पत्ति के बाजार मूल्य का ०.१ प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो।

विलेख में यथाउपवर्णित प्रीमियम या अग्रिम दिये गए या अग्रिम दिए जाने वाले धन तथा आरक्षित किए गए औसत वार्षिक भाटक की रकम, या सम्पत्ति के बाजार मूल्य का एक प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो।

विलेख में यथाउपवर्णित प्रीमियम या अग्रिम दिये गए या अग्रिम दिए जाने वाले धन तथा आरक्षित किए गए औसत वार्षिक भाटक की रकम, या सम्पत्ति के बाजार मूल्य का दो प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो।

विलेख में यथाउपवर्णित प्रीमियम या अग्रिम दिये गए या अग्रिम दिए जाने वाले धन तथा आरक्षित किए गए औसत वार्षिक भाटक की रकम, या सम्पत्ति के बाजार मूल्य का चार प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो।

विलेख में यथाउपवर्णित प्रीमियम या अग्रिम दिये गए या अग्रिम दिए जाने वाले धन तथा आरक्षित किए गए औसत वार्षिक भाटक की रकम, या सम्पत्ति के बाजार मूल्य का पांच प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो।

(१)

(२)

स्पष्टीकरण-तीन—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए प्रीमियम, या अग्रिम दिए गए या दिए जाने वाले धन के रूप में कोई प्रतिफल, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, दिए गए प्रतिफल के रूप में माना जाएगा।

स्पष्टीकरण—चार—नवीनीकरण कालावधि, यदि पट्टा विलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है, तो वर्तमान पट्टाविलेख के भाग के रूप में मानी जाएगी।

स्पष्टीकरण—पांच—जबकि पट्टेदार किसी आवर्ती प्रभार, जैसे कि शासकीय राजस्व, भू-स्वामी के उपकरों के अंश या नगरपालिक दरों या करों में स्वामी का अंश, जो पट्टाकर्ता से विधि द्वारा वसूलनीय हो, को चुकाने का जिम्मा लेता हो तो वह रकम, जिसके कि पट्टेदार द्वारा चुकाए जाने का इस प्रकार करार किया गया हो, भाटक का भाग समझी जाएगी। अग्रिम में भुगतान किया गया भाटक भी अग्रिम धन समझा जाएगा, जब तक कि पट्टे में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित न कर दिया जाए कि अग्रिम में भुगतान किया गया भाटक, भाटक की किस्तों में मुजरा किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-छह—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए रॉयल्टी भाटक के रूप में मानी जाएगी।

स्पष्टीकरण-सात—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए किसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य, प्रीमियम तथा भाटक, जो केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी उपक्रम द्वारा या की ओर से निष्पादित पट्टे की विषयवस्तु है, लिखत में दर्शित मूल्य होगा।

३९. शेयरों का आवंटन-पत्र जो किसी कंपनी या प्रस्थापित कंपनी में या किसी कंपनी या प्रस्थापित कंपनी द्वारा लिये जाने वाले किसी उधार की बावत् है।

दस रुपए।

४०. प्रत्याभूति-पत्र।

एक हजार रुपए।

४१. अनुज्ञनि—पत्र, अर्थात् ऋणी तथा उसके लेनदारों के बीच इस बात का कोई करार कि लेनदार विनिर्दिष्ट समय के लिए अपने दावों को निलंबित कर देंगे और ऋणी को स्वयं अपने विवेकानुसार कारबार चलाने देंगे।

दो हजार रुपए।

४२. कंपनी का—ज्ञापन—

(क) यदि उसके साथ कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ का १८) की धारा ५ के अधीन अनुच्छेद संलग्न हो;

दो हजार पांच सौ रुपए।

(ख) यदि उसके साथ उपर्युक्त संलग्न न हो।

कंपनी की शेयर पूँजी के अनुसार वही शुल्क जो अनुच्छेद ११ के अधीन प्रभार्य है।

(१)

(२)

४३. बंधक—विलेख, जो हक विलेखों के निष्क्रेप, पण्यम या गिरवी या आड़मान (क्र. ७), पोत बंध-पत्र (क्र. १५), फसल का बंधक (क्र. ४४), जहाजी माल बंध-पत्र (क्र. ५५), या प्रतिभूति बंध-पत्र (क्र. ५६) से संबंधित करार नहीं है—

(क) जबकि ऐसे विलेख में समाविष्ट संपत्ति या संपत्ति के किसी भाग का कब्जा बंधककर्ता द्वारा दे दिया गया है या दिये जाने के लिए करार किया गया है;

(ख) जबकि यथापूर्वोक्त कब्जा नहीं दिया गया है या दिये जाने के लिए करार नहीं किया गया है;

स्पष्टीकरण—एक. ऐसे बंधककर्ता के बारे में, जो बंधकदार द्वारा जो बंधकित संपत्ति या उसके भाग के भाटक का संग्रहण करने के लिए मुख्तारनामा देता है, यह समझा जायेगा कि वह इस अनुच्छेद के अर्थ के अंतर्गत कब्जा दे देता है।

स्पष्टीकरण—दो. मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, १९९८ तथा मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, १९९९ के अधीन भूमि के विकास या उस पर निर्माण के लिए सुजित बंधक के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित तथा दस्तावेज में उल्लिखित विकास व्यय, प्रतिभूति राशि होगी।

(ग) जबकि कोई सांपार्श्वक या सहायक या अतिरिक्त या प्रतिस्थापित प्रतिभूति है, या उपरोक्त वर्णित प्रयोजन के लिए और आश्वासन के रूप में है, जहां कि मूल या प्राथमिक प्रतिभूति सम्यक् रूप से स्टाम्पित है;

४४. **फसल का बंधक,** जिसके अंतर्गत कोई ऐसी लिखत है, जो फसल के किसी बंधक पर दिये गये उधार के प्रतिदाय को प्रतिभूत करने के लिए किसी करार को साक्षियत करती है, चाहे बंधक के समय फसल अस्तित्व में हो या न हो;

४५. **नोटरी संबंधी कार्य—अर्थात् कोई ऐसी लिखत, पृष्ठांकन, टिप्पण, अनुप्रग्रामन, प्रमाण-पत्र या प्रविष्टि, जो प्रसाक्ष्य (क्र. ५१) नहीं है और जो पब्लिक नोटरी द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निष्पादन में या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पब्लिक नोटरी के रूप में विधिपूर्वक कार्य करते हुए निष्पादित की गई है।**

४६. **टिप्पण या ज्ञापन—जो दलाल या अभिकर्ता द्वारा अपने मालिक को, ऐसे मालिक के लेखे निम्नलिखित के क्रय या विक्रय की प्रज्ञापना देते हुए भेजा गया है—**

(क) ऐसे किसी माल का, जो एक सौ रुपये से अधिक मूल्य का है;

(ख) ऐसे किसी शेयर, स्क्रिप, स्टॉक, बंध-पत्र, डिबेंचर, डिबेंचर-स्टॉक या इसी प्रकार के अन्य विषय प्रतिभूति का, जो एक सौ रुपये से अधिक मूल्य का है, जो सरकारी प्रतिभूति न हो;

वही शुल्क जो ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम के लिए हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है।

वही शुल्क जो ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम के बंध-पत्र (क्र. १४) पर लगता है।

पांच सौ रुपए

दस रुपए

पचास रुपए

अधिकतम पचास रुपये के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक एक लाख रुपये या उसके भाग के लिये दो रुपये।

अपरिदान आधारित संव्यवहारों के मामले में यथास्थिति, उनके क्रय या विक्रय के समय प्रतिभूति के मूल्य के प्रत्येक एक लाख या उसके भाग के लिए दो रुपये; तथा परिदान आधारित संव्यवहारों के मामले में प्रत्येक १०,००० रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया।

(१)

(२)

(ग) किसी सरकारी प्रतिभूति का;

अधिकतम पांच हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए, प्रतिभूति के यथास्थिति क्रय या विक्रय के समय उसके मूल्य के प्रत्येक दस हजार रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया.

स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद के खण्ड (क) के प्रयोजन के लिए, ऐसी किसी फर्म या प्रोपराइटर, जो स्टॉक एक्सचेंज का अग्रिम संविदा (विनियम) अधिनियम, १९५२ (१९५२ का ७४) की धारा २ के खण्ड (क) में यथा परिभाषित किसी संगम का व्यापारिक सदस्य हो, के द्वारा स्वयं के लिए किए गए वायदे के सौदों तथा विकल्प करारों का तथा खण्ड (क) में वर्णित मालों की अग्रिम संविदा से संबंधित संव्यवहारों का अभिलेख (इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा) नोट या ज्ञापन समझा जायेगा।

४७. पोत के मास्टर द्वारा आपत्ति का टिप्पण;

पचास रुपये।

४८. विभाजन की लिखत—

(एक) जब कुटुंब के सदस्यों के बीच की गई हो

उस शुल्क का आधा शुल्क, जो ऐसी संपत्ति, के पृथक् किए गए अंश या अंशों के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है।

(दो) अन्य किसी मामले में

वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति, के पृथक् किए गए अंश या अंशों के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है।

टिप्पण।—संपत्ति विभाजित किए जाने के पश्चात् बच रहे सबसे बड़े अंश को (या यदि दो या अधिक समान मूल्य के अंश हैं, जो अन्य अंशों में से किसी भी अंश से छोटे नहीं हैं तो ऐसे समान अंशों में से एक अंश को) ऐसा अंश समझा जाएगा, जिससे अन्य अंश पृथक् कर दिए गए हैं।

स्पष्टीकरण-एक।—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए शब्द कुटुंब से माता, पिता, पति, पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पौत्री/नातिन एवं पौत्र/नाती अभिप्रेत होगा।

स्पष्टीकरण-दो।—जबकि विभाजन की कोई ऐसी लिखत निष्पादित की गई है, जिसमें संपत्ति को पृथक्-पृथक् विभक्त करने का करार है और ऐसे करार के अनुसरण में विभाजन कर दिया गया है, तब ऐसा विभाजन प्रभावी करने वाली लिखत पर प्रभार्य शुल्क में से प्रथम लिखत की बाबत् चुकाए गए शुल्क की रकम कम कर दी जाएगी, किन्तु वह एक हजार रुपए से कम नहीं होगी;

(१)

(२)

स्पष्टीकरण—तीन. जहां केवल कृषि भूमि (नगरीय या निवेश क्षेत्र या कोई अन्य क्षेत्र, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, के भीतर स्थित नहीं है) के विभाजन से संबंधित लिखत है, वहां शुल्क के प्रयोजन के लिए बाजार मूल्य वार्षिक भू-राजस्व के सौ गुना से संगणित किया जाएगा;

स्पष्टीकरण—चार. जहां कि किसी राजस्व प्राधिकारी या सिविल न्यायालय द्वारा विभाजन का पारित अंतिम आदेश, या विभाजन करने का निर्देश देते हुए मध्यस्थ द्वारा दिया गया पंचाट, विभाजन की किसी लिखत के लिए अपेक्षित स्टाम्प से स्टाम्पित किया गया है, और ऐसे आदेश या पंचाट के अनुसरण में विभाजन की लिखत तत्पश्चात् निष्पादित की गई है, वहां ऐसी लिखत पर शुल्क एक हजार रुपये से कम नहीं होगा.

४९. भागीदारी—

क. भागीदारी की लिखत—

(क) जहां भागीदारी में कोई अभिदाय के शेयर नहीं हैं या जहां ऐसे अभिदाय के शेयर रुपये ५०,००० से अधिक नहीं हैं;

दो हजार रुपये.

(ख) जहां ऐसे अभिदाय के शेयर रुपये ५०,००० से अधिक हैं;

न्यूनतम दो हजार रुपये एवं अधिकतम दस हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए, अभिदत्त शेयरों का दो प्रतिशत.

(ग) जहां अभिदाय का ऐसा शेयर स्थावर सम्पत्ति के रूप में लाया जाता है;

ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य का दो प्रतिशत.

स्पष्टीकरण—जहां अभिदाय का ऐसा शेयर नकद में तथा स्थावर सम्पत्ति के रूप में लाया जाता है, वहां खण्ड (ख) तथा (ग) दोनों लागू होंगे.

ख. भागीदारी का विघटन या भागीदार की सेवानिवृत्ति—

(क) जहां भागीदारी का विघटन होने पर या किसी भागीदार के सेवानिवृत्त होने पर कोई स्थावर संपत्ति ऐसे भागीदार जो कि उस संपत्ति को अपने अभिदाय के शेयर के रूप में लाया था, से भिन्न किसी भागीदार द्वारा अपने शेयर के रूप में ली जाती है;

वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है.

(ख) किसी अन्य मामले में;

एक हजार रुपये.

(१)

(२)

५०. मुख्तारनामा धारा २ (२१) द्वारा यथापरिभाषित, जो परोक्षी नहीं है—

(क) जबकि वह खण्ड (ग) या (घ) के अन्तर्गत आने वाले मुख्तारनामा को छोड़कर एक या अधिक व्यक्तियों को एक ही संव्यवहार में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है;

(ख) जबकि वह खण्ड (ग) या (घ) के अन्तर्गत आने वाले मुख्तारनामा को छोड़कर एक व्यक्ति को एक से अधिक संव्यवहारों में या साधारणतः कार्य करने के लिये या दस से अनधिक व्यक्तियों को संयुक्ततः या पृथकतः एक से अधिक संव्यवहारों में या साधारणतः कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है;

(ग) जबकि वह प्रतिफल के लिए दिया गया है तथा अभिकर्ता को मध्यप्रदेश में स्थित किसी स्थावर संपत्ति का विक्रय, दान, विनिमय या स्थायी रूप से अन्य संक्रान्त करने के लिए प्राधिकृत करता है;

(घ) जबकि वह प्रतिफल के बिना दिया गया है तथा अभिकर्ता को मध्यप्रदेश में स्थित स्थावर संपत्ति का विक्रय, दान, विनिमय या स्थायी रूप से अन्य संक्रान्त करने के लिये प्राधिकृत करता है—

(एक) जब अभिकर्ता कुटुम्ब का सदस्य है

(दो) जब अभिकर्ता कुटुम्ब का सदस्य नहीं है

(डं) जबकि वह किसी व्यक्ति को किसी निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय में के शेयर, स्क्रिप्स, बंधपत्र, डिबेंचर, डिबेंचर-स्टाक या इसी प्रकार की विषण्य प्रतिभूति को मालिक के नाम से क्रय करने के एकमात्र प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करता है.

(च) अन्य किसी मामले में;

एक हजार रुपये.

दो हजार रुपये.

वही शुल्क जो संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है.

एक हजार रुपये.

वही शुल्क जो संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है.

एक सौ रुपये.

प्राधिकृत किए गए प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक हजार रुपये.

स्पष्टीकरण—एक—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए शब्द कुटुंब से माता, पिता, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पौत्री/नातिन एवं पौत्र/नाती अभिप्रेत होगा;

स्पष्टीकरण—दो—एक से अधिक व्यक्तियों की बावत् उस दशा में, जिसमें कि वे एक ही फर्म के हैं, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह एक ही व्यक्ति है.

५१. **विनिमय-पत्र या वचन-पत्र विषयक, प्रसाक्ष्य अर्थात् नोटरी पब्लिक या उस हैसियत में विधि-पूर्वक करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में की गई ऐसी घोषणा, जो विनिमय-पत्र या वचन-पत्र का अनादर करने का अनुप्रमाणन करती है;**

पचास रुपये.

(१)

(२)

५२. पोत के मास्टर द्वारा आपत्ति अर्थात् पोत की यात्रा के विवरणों का ऐसा घोषणा-पत्र, जो हानियों का समायोजन करने या औसतों का परिकलन करने की दृष्टि से उसके द्वारा लिखा गया है और पोत को भाड़े की संविदा पर लेने वालों या परेषितियों द्वारा पोत पर माल न लादने या पोत से माल न उतारने के लिये उसके द्वारा उनके विरुद्ध लिखित रूप में की गई कोई घोषणा जबकि ऐसा घोषणा-पत्र नोटरी पब्लिक या उस हैसियत में विधिपूर्वक कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित या प्रमाणित किया गया है।

पचास रुपये।

५३. बंधकित संपत्ति का प्रतिहस्तांतरण, जिसमें हक विलेखों के निश्चेप द्वारा बंधक सम्मिलित है;

एक हजार रुपये।

५४. निर्मुक्ति अर्थात् कोई लिखत, (जो ऐसी निर्मुक्ति नहीं है जिसके लिये धारा २३-क द्वारा उपबंध किया गया है) जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर दावे का या किसी विनिर्दिष्ट सम्पत्ति पर दावे का त्याग कर देता है—

(एक) जहां कुटुंब के किसी सदस्य के पक्ष में है;

उस शुल्क का आधा शुल्क, जो सम्पत्ति के उस शेयर, जिस पर कि दावे का त्याग किया गया है, के प्रतिफल या बाजार मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है।

(दो) अन्य किसी मामले में—

वही शुल्क, जो संपत्ति के उस शेयर, जिस पर कि दावे का त्याग किया गया है, के प्रतिफल या बाजार मूल्य, इनमें जो भी अधिक हो, के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है।

स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए शब्द कुटुंब से माता, पिता, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पौत्री/नातिन एवं पौत्र/नाती अभिप्रेत होगा।

५५. जहाजी माल बंधपत्र, अर्थात् कोई लिखत जो उस उधार के लिये प्रतिभूति देती है जो किसी पोत के फलक पर लादे गये या लादे जाने वाले स्थोरा पर लिया गया है और जिसकी अदायगी स्थोरा के गंतव्य पत्तन पर पहुंचने पर समाधित है;

वही शुल्क जो प्रतिभूत किए गए उधार की रकम के बंध-पत्र (क्र. १४) पर लगता है।

५६. प्रतिभूति बंधपत्र जो बंधक-विलेख नहीं है— जहां ऐसा प्रतिभूति बंधपत्र किन्हीं पदीय कर्तव्यों के सम्बन्धीय निष्पादन के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित किया गया है, या प्रतिभूति द्वारा किसी संविदा का सम्बन्धीय पालन सुनिश्चित करने के लिये निष्पादित किया गया है, या किसी न्यायालय या लोक अधिकारी के आदेश या न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० (१८७० का ७) द्वारा अन्यथा उपबंधित न हो के अनुसरण में निष्पादित किया गया है;

वही शुल्क जो उतनी ही रकम के बंध-पत्र (क्र. १४) पर लगता है।

(१)

(२)

५७. व्यवस्थापन—

क. व्यवस्थापन की लिखत (जिसके अंतर्गत मेहर विलेख है);

(एक) कुटुंब के सदस्यों की दशा में;

(दो) किसी अन्य मामले में.

उस शुल्क का आधा शुल्क, जो व्यवस्थापित संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है।

वही शुल्क, जो व्यवस्थापित संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है।

स्पष्टीकरण १—जहां व्यवस्थापन के लिये करार व्यवस्थापन की लिखत के लिये अपेक्षित स्टाम्प से स्टाम्पित है और ऐसे करार के अनुसरण में व्यवस्थापन संबंधी लिखत तत्पश्चात् निष्पादित की गई है, वहां ऐसी लिखत पर शुल्क एक हजार रुपए से कम नहीं होगा।

स्पष्टीकरण २—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए शब्द कुटुंब से माता, पिता, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पौत्री/ नातिन एवं पौत्र/ नाती अभिप्रेत होगा।

(ख) व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण

एक हजार रुपए।

५८. शेयर वारंट वाहक के लिये कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ का १८) के अधीन निर्गमित।

वारंट में विनिर्दिष्ट शेयरों की अभिहित रकम के बराबर बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर संदेय शुल्क का डेढ़ गुना शुल्क।

५९. पोत द्वारा भेजने के आदेश, जो किसी जलयान के फलक पर माल का प्रवहण करने के लिये या माल का प्रवहण करने से संबंधित हो।

पचास रुपए।

६०. पट्टे का अभ्यर्पण बिना किसी प्रतिफल के तथा जहां विषय-वस्तु संपत्ति उसी स्थिति में हो, जैसी कि वह मूल पट्टा विलेख में अधिकथित की गई थी।

एक हजार रुपए।

६१. अंतरण—

(क) धारा ८ द्वारा उपबंधित डिबेंचरों के सिवाय डिबेंचरों का, जो विषय प्रतिभूतियां हैं, चाहे शुल्क के लिये डिबेंचर दायी हो या न हो;

डिबेंचर की प्रतिफल की रकम के प्रत्येक सौ रुपये या उसके भाग के लिये पचास पैसे।

(ख) बंध-पत्र, बंधक-विलेख या बीमा पालिसी द्वारा प्रतिभूत किसी हित का;

वही शुल्क जो हित की ऐसी रकम या मूल्य के बंध-पत्र (क्र. १४) पर लगता है।

(ग) महाप्रशासक अधिनियम, १९६३ (१९६३ का ४५) की धारा २२ के अधीन किसी संपत्ति का।

एक हजार रुपए।

(१)

(२)

६२. पट्टे का अंतरण, समनुदेशन द्वारा न कि उप पट्टे द्वारा;

वही शुल्क जो उस संपत्ति के, जो अंतरण की विषय-वस्तु है, के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है.

६३. न्यास—

क. की घोषणा— किसी संपत्ति की या उसके बारे में जब कि वसीयत से भिन्न लिखित रूप में की गई हो—

(क) जहां संपत्ति का व्ययन हो;

तीन चौथाई शुल्क, जो व्यवस्थापित संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है.

(ख) किसी अन्य मामले में;

एक हजार रुपए,

ख. का प्रतिसंहरण—किसी संपत्ति का या उसके बारे में जबकि वह वसीयत से भिन्न किसी लिखित के रूप में किया गया हो;

एक हजार रुपए,

६४. माल के लिये बारंट, अर्थात् ऐसी कोई लिखित, जो उसमें नामित किसी व्यक्ति के या उसके समनुदेशितियों के या उसके धारक के उस माल में की संपत्ति के हक का साक्ष्य है जो किसी डाक, भाण्डागार या बाट में या उस पर पड़े हैं, जबकि ऐसी लिखित ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से जिसकी अधिकारिता में ऐसा माल है, हस्ताक्षरित या प्रमाणित की गई है;

दस रुपए.”.

५. (१) भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक ५ सन् २०१४) एतद्वारा निरसित निरसन तथा व्यावृत्ति किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2015

क्र. 150-5-इक्कीस-अ (प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३) के अनुसरण में भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 2, सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
परितोष कुमार तिवारी, उपसचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 2 OF 2015

THE INDIAN STAMP(MADHYA PRADESH) AMENDMENT ACT, 2014.

[Received the assent of the Governor on the 6th January, 2015; assent first published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)” dated the 7th January, 2015.]

An Act further to amend the Indian Stamp Act, 1899 in its application to the state of Madhya Pradesh.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty fifth year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Indian Stamp (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2014.

Amendment of Central Act No. II of 1899, in its application to the State of Madhya Pradesh.

2. The Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) (hereinafter referred to as the principal Act), shall in its application to the State of Madhya Pradesh, be amended in the manner hereinafter provided.

Amendment of section 3.

3. In Section 3 of the principal Act, in the first proviso, the words “subject to the exemptions contained in that Schedule” shall be omitted.

Substitution of Schedule 1-A.

4. For Schedule 1-A to the principal Act, the following Schedule shall be substituted, namely:—

“SCHEDULE 1-A
Stamp Duty on Instruments
(See Sections 3)

Description of Instruments (1)	Proper Stamp Duty (2)
1. Acknowledgement of a debt exceeding five hundred rupees in amount or value, written or signed by or on behalf of debtor in any book (other than a banker's pass book) or on a separate piece of paper, when such book or paper is left in the creditor's possession.	Ten rupees.
2. Acknowledgement of receipt of payment of consideration on account of another deed, which has been previously registered.	Five thousand rupees.
3. Administration-Bond , including a bond given under section 291, 375 and 376 of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) and Section 6 of the Government Savings Bank Act, 1873 (5 of 1873).	The same duty as a bond (No. 14) for the same amount.
4. Adoption deed , that is to say, any instrument (other than a will) recording an adoption or conferring or purporting to confer an authority to adopt.	Two thousand rupees.
5. Affidavit , that is to say, a statement in writing purporting to be a statement of fact, signed by the person making it and confirmed by him on oath or, in the case of persons by law allowed to affirm instead of swearing, by affirmation.	Fifty rupees.
6. Agreement of Memorandum of an agreement —	
(a) If relating to the sale of bill of exchange.	One rupee for every rupees 10,000 or part thereof.

(1)	(2)
(b) (i) If relating to the purchase or sale of a Government security.	One rupee for every rupees 10,000 or part thereof, of the value of the security at the time of its purchase or sale, as the case may be, subject to a maximum of rupees five thousand.
(ii) If relating to the purchase or sale of shares, scrips, bonds, debentures, debenture-stocks or any other marketable security of a like nature in or of any incorporated company or other body corporate.	Rupees two for every one lakh or part thereof, of the value of the security at the time of its purchase or sale, as the case may be, in case of non-delivery- based transactions; and one rupee for every rupees 10,000 or part thereof in case of delivery- based transactions.
(c) If relating to a permission granted by a manufacturer or owner of a business, know-how, brand name, trademark or the like to another person to carry on business or other activity using the grantor's know-how, brand name, trademark etc., i.e. the agreement of franchise.	Ten thousand rupees
(d) If relating to the development of land and/or construction of a building thereon by a person other than the owner or lessee of such land.	
(i) if having the stipulation that after development, such developed property or part thereof shall be held/ sold by the developer, by whatever name called, either severally or jointly with the owner/ lessee -	The same duty as a conveyance (No. 25) on the, market value of only that portion of the entire land proposed to be developed which is proportionate to the developed property to be held/sold by the developer jointly or severally, or half of the duty as a conveyance (No. 25) on the market value of the entire land proposed to be developed, whichever is higher.
(ii) for cases not covered by (i) above -	0.25 percent of the market value of the entire land proposed to be developed, subject to a minimum of one thousand rupees.
Explanation -For the purposes of this article,	
(i)"development" and "developer" shall have the same meaning as assigned to them respectively in section 2(f) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and rule 2(1) (b) of the Madhya Pradesh Special Project and Township (Development, Regulation and Control) Rules, 2011.	
(ii) where the developed property is held/sold jointly but the share of the developer is not expressly mentioned in the document, the developer's share shall be deemed to be 100 percent.	
(c) If relating to sale of immovable property-	
(i) When possession of the property is delivered or is agreed to be delivered without executing the conveyance.	The same duty as conveyance (No. 25) on the market value of the property.
(ii) When possession of the property is not given.	One thousand rupees.

(1)	(2)
(f) If relating to hire- purchase of immovable property.	The same duty as a conveyance (No. 25) on the market value of the property.
(g) If relating to secure repayment of a loan or debt.	0.25 percent of the amount of loan or debt, subject to a maximum of five lakh rupees.
(h) If not otherwise provided for.	Five hundred rupees.

7. Agreement relating to deposit of title deeds, pawn, pledge or hypothecation, that is to say, any instrument evidencing an agreement relating to-

- (a) the deposit of title deeds or instruments constituting or being evidence of the title to any property whatever (other than a marketable security), where such deposit has been made by way of security for the repayment of money advanced or to be advanced by way of loan or an existing or future debt.
- (b) the pawn, pledge or hypothecation of movable property, where such pawn, pledge or hypothecation has been made by way of security for the repayment of money advanced, or to be advanced by way of loan or an existing or future debt.

Explanation I - On an instrument relating to deposit of title deeds or pawn or pledge or hypothecation for securing repayment of money advanced or to be advanced by way of loan or an existing or future debt of a higher amount than one secured by earlier instruments of like nature, the duty shall be chargeable only on the additional amount in case the proper stamp duty has been paid on the earlier instrument.

Explanation II-for the purposes of clause (a) of this article, notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order of any court or order of any authority, any letter, note, memorandum or writing relating to the deposit of title deeds whether written or made either before or at the time when or after the deposit of title deeds is effected, and whether it is in respect of the security for the first loan or any additional loan or loans taken subsequently, such letter, note, memorandum or writing shall, in the absence of any separate agreement or memorandum of agreement relating to deposit of such title deeds, be deemed to be an instrument, evidencing an agreement relating to the deposit of title deeds.

- 8. **Appointment in execution of a power**, whether of trustees or of property, moveable or immoveable, where made by any writing, not being a will.
- 9. **Appraisement or valuation**, made otherwise than under an order of the Court in the course of a suit.

0.25 percent of the amount secured by such deed, subject to a maximum of five lakh rupees.
0.25 percent of the amount of loan or debt subject to a maximum of five lakh rupees.

Five hundred rupees.

Five hundred rupees.

(1)	(2)
10. Apprenticeship deed , including every writing relating to the service or tuition of any apprentice, clerk or servant, placed with any master to learn any profession, trade or employment.	Two hundred rupees.
11. Articles of a Company - (a) where the company has no share capital. (b) where the company has nominal share capital or increased share capital.	Five thousand rupees. 0.15 percent of such nominal or increased share capital, subject to a minimum of five thousand rupees and a maximum of twenty five lakh rupees.
12. Award , that is to say, any decision in writing by an arbitrator or umpire, on a reference made otherwise than by an order of the Court in the course of a suit, being an award made as a result of a written agreement to submit present or future differences to arbitration and not being an award directing a partition.	Two percent of the award amount or market value of the property to which the award relates, whichever is higher.
13. Bank Guarantee . Guarantee deed executed by a bank as surety to secure the due performance of a contract or the due discharge of liability.	0.25 percent of the amount, subject to a maximum of twenty five thousand rupees.
14. Bond , not being a debenture and not being otherwise provided for by this Act or by the Court-fees Act, 1870 (No.7 of 1870).	(a) 0.5 percent of the amount or value secured subject to a minimum of five hundred rupees. (b) Where no valuation is possible, five hundred rupees.
15. Bottomry Bond , that is to say, any instrument whereby the master of a sea going ship borrows money on the security of the ship to enable him to preserve the ship or prosecute her voyage.	The same duty as a Bond (No.14) for the same amount.
16. Cancellation - Instrument of cancellation of any previously registered document, if attested and not otherwise provided for.	Five hundred rupees.
Explanation - I - If on the principal instrument stamp duty is paid on the basis of value, the duty on the instrument of cancellation shall be chargeable as per the principal instrument.	
Explanation - II - If on the principal instrument stamp duty is paid on the basis of market value, the duty on the instrument of cancellation shall be chargeable as per the principal instrument on the prevailing market value.	
17. Certificate of Enrolment , under section 22 of the Advocate Act, 1961 (No. 25 of 1961), issued by the State Bar Council of Madhya Pradesh.	One thousand rupees.
18. Certificate of Practice as Notary , under sub-section (1) of section 5 of the Notaries Act, 1952 (No. 53 of 1952), or endorsement of renewal of such certificates under sub section (2) of the said section.	Two thousand rupees.
19. Certificate of Sale (in respect of each property put up as a separate lot and sold), granted to the purchaser of any property sold by public auction by a Civil or Revenue Court or Collector or other Revenue Officer or an officer authorised to do so under any law for the time being in force.	The same duty as a conveyance (No.25) for the amount of purchase money only.

(1)	(2)
20. Certificate or other document , evidencing the right or title of the holder thereof, or any other person, either to any shares, scrip or stock in or of any incorporated company or other body corporate, or to become proprietor of shares, scrip or stock in or of any such company or body.	One rupee for every one thousand rupees or a part thereof, of the value of the shares, scrip or stock.
21. Charter-Party , that is to say, any instrument (except an agreement for the hire of tug steamer) whereby a vessel or some specified principal part thereof is let for the specified purposes of the charterer, whether it includes a penalty clause or not.	One hundred rupees.
22. Clearance List-	
(a) If relating to the transactions for the purchase or sale of Government securities submitted to the clearing house of a stock exchange.	One rupee for every rupees 10,000 or part thereof in respect of each of the entries in such list on the value of securities calculated at the making up price or the contract price, as the case may be, subject to a maximum of rupees five thousand.
(b) If relating to the transactions for the purchase or sale of share, scrip, stock, bond, debenture, debenture - stock or other marketable security of a like nature in or of an incorporated company or other body corporate, submitted to the clearing house of a stock exchange.	Rupees two for every one lakh or part thereof, of the value of the security at the time of its purchase or sale, as the case may be, in case of non-delivery- based transactions; and one rupee for every rupees 10,000 or part thereof in case of delivery-based transactions.
23. Composition deed , that is to say, any instrument executed by a debtor whereby he conveys his property for the benefit of his creditors or whereby payment of a composition or dividend on their debts is secured to the creditors, or whereby provision is made for the continuance of the debtor's business under the supervision of inspectors nominated by the creditors or under letters of licence for the benefit of his creditors.	Two thousand five hundred rupees.
24. Consent deed without any consideration, forming part of a document already registered or to be registered.	One thousand rupees.
25. Conveyance - not being a transfer charged or exempted under No.61.	Five percent of the market value of the property which is the subject matter of conveyance or the amount of consideration set forth therein, whichever is higher.

Explanation - For the purpose of this article market value of any property which is subject matter of conveyance executed by or on behalf of the Central Government or the State Government, shall be the value shown in the instrument.

Provided that-

- (a) where an instrument relates to the merger or amalgamation of companies under the orders of Tribunal/Court under section 232 and 234 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), or under the order of the Reserve

(1)

(2)

Bank of India under section 44A of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the duty chargeable shall be an amount equal to 5% of the market value of the immovable property transferred which is located within the State of Madhya Pradesh, or an amount equal to 0.5% of the aggregate of the market value of the shares issued or allotted in exchange or otherwise and the amount of consideration paid for such transfer, whichever is higher.

- (b) when an instrument relates to an assignment of a debt, the rate of duty shall be 0.25 percent on the amount of the debt assigned.
- (c) where an agreement to sell an immovable property is stamped with ad-valorem duty required for a conveyance and a sale deed in pursuance of such agreement is subsequently executed, the duty on such sale deed shall be the duty payable under the article less the duty already paid, subject to a minimum of Rs. 1000.
- (d) where a power of attorney authorising the agent to sell immovable property is stamped with ad-valorem duty required for a conveyance and a sale deed is executed in pursuance of power of attorney between the executant of attorney and the person in whose favour it is executed, the duty on the sale deed shall be the duty payable under the article less the duty already paid, subject to a minimum of Rs. 1000.
- (e) where a mortgage deed or an agreement to mortgage is stamped with ad-valorem duty required for a mortgage under article 43 and a court decree in pursuance of a suit filed against the mortgaged property, or a mortgage deed is executed, the duty payable on the decree or the mortgage deed shall be the duty payable under the article less the duty already paid under article 43 on the mortgage deed, subject to a minimum of Rs. 1000.
- (f) where by an instrument, a person includes the name of his wife or daughter or daughter-in-law severally or jointly as co-owner in his property, the rate of duty shall be 1 percent on the market value of the property.

(1)	(2)
26. Copy or Extract , certified to be a true copy or extract by or order of an public officer under section 70 of the Indian Evidence Act, 1872 (No.1 of 1872) and not chargeable under the law for the time being in force relating to court fees	One hundred rupees.
27. Counterpart or duplicate of any instrument chargeable with duty and in respect of which the proper duty has been paid.	One thousand rupees.
28. Customs Bond or Excise bond , that is to say, any bond given pursuant to the provisions of any law for the time being in force or to the directions of any officer of Custom or Excise for, or in respect of, any of the duties of Customs and Excise or for preventing frauds or evasions thereof or for any other matter or thing relating thereto.	The same duty as a Bond (No.14) for the same amount.
29. Declaration , under the Madhya Pradesh Prakoshtha Swamitva Adhiniyam, 2000 (No. 15 of 2001).	Ten thousand rupees.
30. Delivery order in respect of goods , that is to say, any instrument entitling any person therein named or his assigns or the holder thereof, to the delivery of any goods lying in any dock or port or in any warehouse in which goods are stored or deposited on rent or hire, or upon any wharf, such instrument being executed by or on behalf of the owner of such goods, upon the sale or transfer of the property therein when such goods exceed in value hundred rupees.	Ten rupees.
31. Divorce , instrument of, that is to say, any instrument by which any person effects the dissolution of his marriage.	One thousand rupees.
32. Document amending or correcting previously registered deed, but not making any material alterations.	One thousand rupees.
Explanation - For the purpose of this article a material alteration is one which varies the rights, liabilities or legal position of the parties as ascertained from the instrument in its original state or otherwise varies the legal effect of the instrument as originally executed.	
33 Entry of certificate of marriage , in the register under the Special Marriage Act, 1954 (No. 43 of 1954) or any other law for the time being in force.	One hundred rupees.
34. Exchange of Property - Instrument of	The same duty as a conveyance (No.25) on the market value of the property of greater value, which is the subject matter of Exchange.
35. Further charge - Instrument of, that is to say, any instrument imposing a further charge on mortgaged property-	The same duty as a conveyance (No.25) for the amount of further charge secured by such instrument.
(a) when the original mortgage is one of the description referred to in clause (a) of Article No. 43 (that is with possession).	

(1)

(2)

(b) when such mortgage is one of the description referred to in clause (b) of Article No.43 (that is, without possession) -

(i) If at the time of the execution of the instrument of further charge, the possession of the property is given or agreed to be given under such instrument.

(ii) If possession is not so given.

36. Gift- Instrument of, not being a settlement (No. 57) or will or transfer (No. 61):-

(i) when made to member of a family.

(ii) in all other cases.

Explanation- For the purpose of this article, the term "family" shall mean mother, father, wife, husband, son, daughter, brother, sister, granddaughter and grandson,

37. Indemnity Bond.

38. Lease, including an under-lease, or sub-lease and any agreement to let or sub-let or any renewal of lease-

(i) where the lease purports to be for a term less than one year.

(ii) where the lease purports to be for a term of not less than one year but less than five years.

(iii) where the lease purports to be for a term of not less than five years but less than ten years.

The same duty as a conveyance (No.25) for the total amount of charge (including the original mortgage and any further charge already made) less the duty already paid on such original mortgage and further charge.

The same duty as a Bond (No. 14) for the amount of the further charge secured by such instrument.

Half of the duty as a conveyance (No. 25) on the market value of the property, which is subject matter of the gift.

The same duty as a conveyance (No. 25) on the market value of the property, which is subject matter of the gift.

The same duty as a Bond (No.14) for the same amount.

0.01 percent of the whole amount payable or deliverable under such lease, or of the market value of the property, whichever is higher.

0.1 percent of the amount of premium or money advanced or to be advanced as set forth in the deed plus the average annual rent reserved, or of the market value of the property, whichever is higher.

One percent of the amount of premium or money advanced or to be advanced as set forth in the deed plus the average annual rent reserved, or of the market value of the property, whichever is higher.

(1)	(2)
(iv) where the lease purports to be for a term of not less than ten years but less than twenty years.	Two percent of the amount of premium or money advanced or to be advanced as set forth in the deed plus the average annual rent reserved, or of the market value of the property, whichever is higher.
(v) where the lease purports to be for a term of not less than twenty years but less than thirty years.	Four percent of the amount of premium or money advanced or to be advanced as set forth in the deed plus the average annual rent reserved, or of the market value of the property, whichever is higher.
(vi) where the lease purports to be for a period of thirty years or more, or in perpetuity, or does not purport to be for a definite period.	Five percent of the amount of premium or money advanced or to be advanced as set forth in the deed plus the average annual rent reserved, or of the market value of the property, whichever is higher.

Explanation- I- When an instrument of agreement to lease is stamped with the ad-valorem duty required for a lease, and a lease in pursuance of such agreement is subsequently executed, the duty on such lease deed shall be the duty payable under the article less the duty already paid, subject to a minimum of one thousand rupees.

Explanation-II- Where a decree or final order of any Civil Court in respect of a lease is stamped with ad-valorem duty required for a lease, and a lease in pursuance of such decree or final order is subsequently executed, the duty on such lease deed shall be the duty payable under the article less the duty already paid, subject to a minimum of one thousand rupees.

Explanation-III- Any consideration in the form of premium, or money advanced or to be advanced by whatever name called shall, for the purpose of this article, be treated as consideration passed on.

Explanation-IV- The renewal period, if specifically mentioned in the lease deed, shall be treated as part of the present lease period.

Explanation-V- When a lessee undertakes to pay any recurring charge, such as Government revenue, the landlord's share of cesses or the owner's share of municipal rates or taxes, which is by law recoverable from the lessor, the amount so agreed to be paid by the lessee shall be deemed to be part of the rent. Also, rent paid in advance shall be deemed to be money advanced, unless it is specifically provided in the lease that rent paid in advance shall be set off towards the installments of rent.

Explanation-VI- For the purpose of this article royalty shall be treated as rent.

Explanation-VII- For the purpose of this article market value,

(1)

(2)

premium and rent of any property, which is subject matter of lease executed by or on behalf of the Central Government or the State Government or any undertaking of the State Government shall be as shown in the instrument.

39. **Letter of allotment of Shares**, in any company or proposed company or in respect of any loan to be raised by any company or proposed company.

Ten rupees.

40. **Letter of Guarantee.**

One thousand rupees.

41. **Letter of licence**, that is to say, any agreement between a debtor and his creditors that the latter shall for a specified time, suspend their claims and allow the debtor to carry on business at his own discretion.

Two thousand rupees.

42. **Memorandum of a company-**

(a) If accompanied by articles under section 5 of the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013)

Two thousand five hundred rupees.

(b) If not so accompanied.

43. **Mortgage deed**, not being an agreement relating to the deposit of title deeds, Pawn, Pledge or Hypothecation (No.7), Bottomry bond (No. 15), Mortgage of a crop (No.44), Respondentia Bond (No.55), or a Security bond (No. 56)-

The same duty as is chargeable on Articles under Article II, according to the share capital of the company.

(a) When possession of the property or any part of the property comprised in such deed is given by mortgagor or agreed to be given.

The same duty as a conveyance (No. 25) for the amount secured by such deed.

(b) When possession is not given or agreed to be given as aforesaid.

The same duty as a Bond (No. 14) for the amount secured by such deed.

Explanation-I A mortgagor who gives to the mortgagee a power of attorney to collect rents of a lease of the property mortgaged or part thereof, is deemed to give possession within the meaning of this article.

Explanation-II For mortgage, for creating development of or construction on land under the Madhya Pradesh Nagar Palika (Registration of Colonizer, Terms and Conditions) Rules, 1998 and the Madhya Pradesh Gram Panchayat (Registration of Colonizer, Terms and Conditions) Rules, 1999, the development expenses approved by the competent officer and set forth in the document, shall be the amount secured.

(c) When a collateral or auxiliary or additional or substituted security, or by way of further assurance for the above mentioned purpose, where the principal or primary security is duly stamped.

Five hundred rupees.

44. **Mortgage of a Crop**, including any instrument evidencing an agreement to secure the repayment of a loan made upon any mortgage of a crop whether the crop is or is not in existence at the time of the mortgage.

Ten rupees.

(1)

(2)

45. Notarial Act , that is to say, any instrument, endorsement, note, attestation, certificate or entry not being a protest (No. 51) executed by a Notary public in the execution of the duties of his office, or by any other person lawfully acting as a Notary public.	Fifty rupees.
46. Note or Memorandum , sent by a broker or agent to his principal intimating the purchase or sale on account of such principal-	
(a) of any goods exceeding in value one hundred rupees.	Two rupees for every rupees one lakh or part thereof, subject to a maximum of fifty rupees.
(b) of any share, scrip, stock, bond, debenture, debenture stock or other marketable security of a like nature exceeding in value one hundred rupees, not being a Government Security.	Rupees two for every one lakh or part thereof, of the value of the security at the time of its purchase or sale, as the case may be, in case of non-delivery-based transactions; and one rupee for every rupees 10,000 or part thereof in case of delivery-based transactions.
(c) of a Government Security.	One rupee for every rupees ten thousand or part thereof, of the value of the security, at the time of its purchase or sale, as the case may be, subject to maximum of five thousand rupees.
47. Note of Protest , by the master of a ship.	Fifty rupees.
48. Partition - Instrument of -	
(i) when made within the family members.	Half of the duty as a conveyance (No. 25) on the market value of the separated share or shares of the property.
(ii) in any other case,	The same duty as a conveyance (No. 25) on the market value of the separated share or shares of the property.
Note- The largest share remaining after the property is partitioned (or if there are two or more shares of equal value and not smaller than any of the other share, then one of such equal shares) shall be deemed to be that from which the other shares are separated,	
Explanation-I - For the purpose of this article, the term "family" shall mean mother, father, wife, husband, son, daughter, brother, sister, granddaughter and grandson..	

(1)

(2)

Explanation-II- When an instrument of partition containing an agreement to divide property in severalty is executed and a partition is effected in pursuance of such agreement, the duty chargeable upon the instrument effecting such a partition shall be reduced by the amount of duty paid in respect of the first instrument, but shall not be less than one thousand rupees.

Explanation-III- Where the instrument relates to the partition of agricultural land exclusively (not situated within urban or planning area, or any other area as may be specified), the market value for the purpose of duty shall be calculated at hundred times the annual land revenue.

Explanation-IV- Where a final order for effecting a partition passed by any Revenue-authority or Civil Court or an award by an arbitrator directing a partition, is stamped with the stamp required for an instrument of partition and an instrument of partition in pursuance of such order or award is subsequently executed, the duty on such instrument shall not be less than one thousand rupees.

49. Partnership-

A. Instrument of -

- (a) where there is no share of contribution in partnership or where such share of contribution does not exceed Rs. 50,000.
- (b) where such share of contribution is in excess of Rs. 50,000.
- (c) where such share of contribution is brought by way of immovable property.

Explanation- Where such share of contribution is brought by way of cash and immovable property, clauses (b) and (c) both shall apply.

B. Dissolution of partnership or retirement of a partner.

- (a) Where on dissolution of partnership or on retirement of a partner, any immovable property is taken as his share by a partner other than a partner who brought in that property as his share of contribution in the partnership.

- (b) In any other case.

50. Power of attorney as defined by section 2(21), not being a proxy-

- (a) when authorising one person or more to act in single transaction, excluding power of attorney coming under clause (c) or (d).
- (b) when authorising one person to act in more than one transaction or generally, or not more than ten persons to act jointly or severally in more than one transaction or generally, excluding power of attorney coming under clause (c) or (d).

Two thousand rupees.

Two percent of the shares contributed, subject to a minimum of rupees two thousand and a maximum of rupees ten thousand.

Two percent on the market value of such property.

The same duty as a conveyance (No. 25) on the market value of such property.

One thousand rupees.

One thousand rupees.

Two thousand rupees.

(1)	(2)
(c) when given for consideration and authorising the agent to sell, exchange or permanently alienate any immovable property situated in Madhya Pradesh.	The same duty as a conveyance (No. 25) on the market value of the property.
(d) when given without consideration, and authorizing the agent to sell, gift, exchange or permanently alienate any immovable property situated in Madhya Pradesh -	
(i) when the agent is a member of the family.	One thousand rupees.
(ii) when the agent is not a member of the family.	The same duty as a conveyance (No. 25) on the market value of the property.
(e) when authorizing a person for the sole purpose of purchasing shares, scrips, bonds, debentures, debenture-stocks or any other marketable security of a like nature in or of any incorporated company or other body corporate, in the name of the principal.	One hundred rupees.
(f) in any other case.	One thousand rupees for each person authorised.
Explanation-I- For the purpose of this article, the term "family" shall mean mother, father, wife, husband, son, daughter, brother, sister, granddaughter and grandson.	
Explanation-II- For the purpose of this article, more persons than one when belonging to the same firm shall be deemed to be one person.	
51. Protest of Bill or Note , that is to say, any declaration in writing made by a Notary public, or other person lawfully acting as such, attesting the dishonour of a Bill of Exchange or Promissory Note.	Fifty rupees.
52. Protest by the Master of a Ship , that is to say, any declaration of the particulars of her voyage drawn up by him with a view to the adjustment of losses or the calculation of averages, and every declaration in writing made by him against the charterers or the consignees for not loading or unloading the ship, when such declaration is attested or certified by a Notary Public or other person lawfully acting as such:-	Fifty rupees.
53. Re-conveyance of Mortgaged Property , including mortgage by deposit of title deeds.	One thousand rupees.
54. Release , that is to say, any instrument (not being such a release as is provided for by section 23-A) whereby a person renounces a claim upon another person, or against any specified property -	
(i) when in favour of any member of a family.	Half of the duty as a conveyance (No. 25) on the consideration or market value of the share of the property over which the claim is relinquished, whichever is higher.
(ii) in any other case.	The same duty as a conveyance (No. 25) on the consideration or market value of the share of the property over which the claim is relinquished, whichever is higher.

(1)

(2)

Explanation- For the purpose of this article, the term "family" shall mean mother, father, wife, husband, son, daughter, brother, sister, granddaughter and grandson,

55. Respondentia Bond, that is to say, any instrument securing a loan on the cargo laden or to be laden on board a ship and making repayment contingent on the arrival of the cargo at the port of destination.

56. Security bond not being a Mortgage deed, where such security bond is executed by way of security for the due execution of an office, or executed by a surety to secure the due performance of a contract, or in pursuance of an order of the Court or public officer, not being otherwise provided for by the Court-fees Act, 1870 (No.7 of 1870).

57. Settlement-

(a) Instrument of (including a deed of dower) -
(i) in case of family members.

(ii) in any other case.

Explanation-I - Where an agreement to settle is stamped with the stamp required for an instrument of settlement and an instrument of settlement in pursuance of such agreement is subsequently executed, the duty on such instrument shall not be less than one thousand rupees.

Explanation- II - For the purpose of this article, the term "family" shall mean mother, father, wife, husband, son, daughter, brother, sister, granddaughter and grandson.

(b) Revocation of.

58. Share warrants. to bearer issued under the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013).

59. Shipping order, for or relating to the conveyance of goods on board of any vessel.

60. Surrender of lease without any consideration and when the subject matter property is in the same condition, as it was stated in the principal lease deed.

61. Transfer—

(a) of debentures, being marketable securities, whether the debenture is liable to duty or not, except debentures provided for by section 8.

(b) of any interest secured by a bond, mortgage deed or policy of insurance.

The same duty as a Bond (No.14) for the amount of the loan secured.

The same duty as a bond (No. 14) for the same amount.

Half of the duty as a conveyance (No. 25) on the market value of the property settled.

The same duty as a conveyance (No. 25) on the market value of the property settled.

One thousand rupees.

One and a half times duty payable on a conveyance (No.25) for a market value equal to the nominal amount of the shares specified in the warrant.

Fifty rupees.

One thousand rupees.

Fifty paise for every hundred rupees or part thereof, of the consideration amount of debentures.

The same duty as a Bond (No.14) for such amount or value of the interest.

(1)	(2)
(c) of any property under section 22 of the Administrator's General Act, 1963 (No. 45 of 1963).	One thousand rupees.
62. Transfer of least , by way of assignment and not by way of under lease.	The same duty as a conveyance (No. 25) on the market value of the property, which is the subject matter of the transfer.
63. Trust-	
A. Declaration of- or concerning any property when made by any writing, not being a will-	
(a) where there is disposition of property.	Three fourth of the duty as a conveyance (No. 25) on the market value of the property settled.
(b) in any other case.	One thousand rupees.
B. Revocation of- of or concerning any property when made by any instrument, other than a will.	One thousand rupees.
64. Warrant for Goods , that is to say, any instrument evidencing the title of any person therein named, or his assigns or the holder thereof to the property in any goods lying in or upon any dock, warehouse or wharf, such instrument being signed or certified by or on behalf of the person in whose custody such goods may be.	Ten rupees.".

Repeal and Saving. 5. (1) The Indian Stamp (Madhya Pradesh Amendment) Ordinance, 2014 (No. 5 of 2014) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.



मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 457]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 22 अगस्त 2017—श्रावण 31, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2017

क्र. 13761-187-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18 अगस्त, 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव।

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २२ सन् २०१७

भारतीय स्टाप्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१७

[दिनांक १८ अगस्त, २०१७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २२ अगस्त, २०१७ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाप्प अधिनियम, १८९९ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाप्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१७ है.

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाप्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का संख्यांक २) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को, इसमें इसके पश्चात् उपर्युक्त रीति में संशोधित किया जाए.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८९९ का संख्यांक २ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की अनुसूची १-क में,—

अनुसूची १-क का संशोधन.

(एक) अनुच्छेद २५ में, कॉलम (२) में, परंतुक में, खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(छ) जब कोई लिखत, यथास्थिति, भूमि स्वामी अथवा पटेदार की सहमति के साथ अनुच्छेद ६ (घ) (एक) के अधीन निष्पादित लिखत से अभिप्राप्त हुए विकास अधिकार एवं/अथवा निर्माण अधिकार के अंतरण से संबंध रखती है, शुल्क की दर, न्यूनतम एक हजार रुपए के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे अधिकार के अंतरण से संबंधित भूमि के बाजार मूल्य या प्रतिफल, इनमें से जो भी अधिक हो, का एक प्रतिशत होगी.

(दो) अनुच्छेद ६२ में, कॉलम (२) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—किसी खनन पट्टे के समनुदेशन की दशा में, शुल्क, पट्टे की शेष कालावधि पर निर्भर रहते हुए अनुच्छेद ३८(ख) के अधीन संगणित की गई रकम या मूल्य के समतुल्य होगा.".

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2017

क्र.-187-इकीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017 (क्रमांक 22 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव।

MADHYA PRADESH ACT

No. 22 OF 2017

THE INDIAN STAMP (MADHYA PRADESH AMENDMENT) ACT, 2017

[Received the assent of the Governor on the 18th August, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 22nd August, 2017].

An Act further to amend the Indian Stamp Act, 1899 in its application to the State of Madhya Pradesh.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-eighth year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2017.

Short title and commencement.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. The Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) (hereinafter referred to as the principal Act) shall in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided.

Amendment of Central Act No. II of 1899 in its application to the State of Madhya Pradesh.

3. In Schedule 1-A to the principal Act,—

Amendment of Schedule 1-A.

(i) in article 25, in column (2), in proviso, after clause (f), the following clause shall be added, namely :—

"(g) when an instrument relates to transfer of development right and/or construction right, obtained from the instrument executed under article 6(d) (i), along with consent of land owner or lessee, as the case may be, the rate of duty shall be one percent of market value of the land related to transfer of such right or consideration, whichever is higher, subject to a minimum of one thousand rupees.";

(ii) in article 62, in column (2), the following explanation shall be added, namely :—

"Explanation.—In case of assignment of a mining lease, the duty shall be equal to the amount or value calculated under article 38(b) depending upon the remaining period of the lease.".

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 538]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 सितम्बर 2022—आश्विन 8, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2022

क्र. 14824-235-इकीस-अ(प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29 सितम्बर 2022 को
महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १७ सन् २०२२

भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०२२

[“दिनांक २५ सितम्बर, २०२२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई। अनुमति “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में दिनांक २६ सितम्बर, २०२२ को प्रथम बार प्रकाशित की गई।]

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहतरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०२२ है।

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए, १८९९ का संख्यांक २ का संशोधन.

अनुसूची १-क का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) (जो इसमें इसके

केन्द्रीय अधिनियम, १८९९ का संख्यांक २ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की की अनुसूची १-क में,

(एक) अनुच्छेद ६ में, खण्ड (घ) तथा पत्पश्चात् दिए गए स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा स्पष्टीकरण स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

“(घ) यदि वह ऐसी भूमि या संपत्ति के स्वामी या पट्टेदार से भिन्न किसी व्यक्ति या अभिकरण द्वारा, उस भूमि या संपत्ति के विकास या पुनर्विकास और/ अथवा उस पर निर्माण या पुनर्निर्माण से संबंधित है,—

(एक) यदि उसमें यह अनुबंध हो कि विकास या पुनर्विकास के पश्चात् ऐसी विकसित या पुनर्विकसित संपत्ति या उसका भाग, विकासकर्ता, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, के द्वारा स्वामी या पट्टेदार के साथ या तो पृथक्तः या तो संयुक्तः धारित या विक्रय किया जाएगा।

वही शुल्क जो विकसित या पुनर्विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित संपूर्ण भूमि के केवल उस भाग के बाजार मूल्य के हस्तांतरण पत्र (क्रमांक २५) पर लगता है जो कि विकासकर्ता द्वारा संयुक्तः या पृथक्तः धारित या विक्रीत की जाने वाली विकसित या पुनर्विकसित संपत्ति के अनुपात में हो, या उस शुल्क का आधा जो विकसित या पुनर्विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित संपूर्ण भूमि के बाजार मूल्य के हस्तांतरण पत्र (क्रमांक २५) पर लगता है, इनमें से जो भी अधिक हो।

(दो) उपरोक्त (एक) के अंतर्गत न आने वाले मामलों के लिए न्यूनतम एक हजार रुपए के अध्ययीन रहते हुए विकसित या पुनर्विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित संपूर्ण भूमि के बाजार मूल्य का ०.२५ प्रतिशत.

स्पष्टीकरण।—इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए—

(एक) “विकास” तथा “विकासकर्ता” का वही अर्थ होगा जो मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) की धारा २(च) तथा मध्यप्रदेश स्पेशल प्रोजेक्ट एण्ड टाउनशिप, (विकास, विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, २०११ के नियम २(१) (ख) में क्रमशः उनके लिए दिया गया है।

(दो) जहां विकसित संपत्ति संयुक्तः धारित या विक्रीत की जाती हो, परंतु दस्तावेज में विकासकर्ता का अंश अधिव्यक्त रूप से उल्लिखित न हो, वहां विकासकर्ता का अंश १०० प्रतिशत समझा जाएगा।”;

(दो) अनुच्छेद ७ में, खण्ड (ख) तथा तत्पश्चात् स्पष्टीकरण एक तथा स्पष्टीकरण दो के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड एवं स्पष्टीकरण स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

“(ख) जंगम संपत्ति का पण्यम, गिरवी या आड़मान, जहां ऐसा पण्यम, गिरवी या आड़मान उधार में अग्रिम दिए गए या दिए जाने वाले धन के अथवा वर्तमान या भावी ऋण के चुकाए जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में किया गया है, जहाँ ऋण या उधार की रकम है :—

(एक) ५०,००० रुपए तक पचास रुपए

(दो) ५०,००० रुपए से पांच सौ रुपए ऊपर परंतु ५ लाख रुपए तक.

(तीन) ५ लाख रुपए से दो हजार रुपए ऊपर परंतु १० लाख रुपए तक.

(चार) १० लाख रुपए से दस हजार रुपए ऊपर परंतु ५० लाख रुपए तक.

(पांच) ५० लाख रुपए से अधिकतम सात लाख पचास हजार रुपए के अध्यधीन ऊपर रहते हुए उधार या ऋण की रकम का ०.२५ प्रतिशत.

स्पष्टीकरण एक।—उधार में अग्रिम दिए गए या दिए जाने वाले धन के अथवा वर्तमान या भावी ऋण के चुकाए जाने के लिए हक-विलेखों के निक्षेप अथवा पण्यम, गिरवी या आड़मान की उच्चतर रकम की प्रतिभूति से संबंधित लिखत पर केवल अतिरिक्त रकम पर शुल्क प्रभार्य होगा, यदि पूर्व लिखत पर पर्याप्त स्टाम्प शुल्क चुका दिया गया है।

स्पष्टीकरण दो।—इस अनुच्छेद के खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए, किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश में या किसी प्राधिकारी के आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, हक-विलेखों के निक्षेप से संबंधित किसी पत्र, टिप्पण, ज्ञापन या लेख को, चाहे वह हक-विलेखों के निक्षेप किए जाने के पूर्व या ऐसे निक्षेप के समय या उसके पश्चात् लिखा गया है या बनाया गया है, और चाहे वह प्रथम उधार के लिए या बाद में लिए गए किसी अतिरिक्त उधार या उधारों के लिए प्रतिभूति के संबंध में हो, ऐसे पत्र, टिप्पण, ज्ञापन या लेख को ऐसे हक-विलेखों के निक्षेप से संबंधित करार को साक्षित करने वाली, लिखत समझा जाएगा।”;

(तीन) अनुच्छेद १३ में, कॉलम (२) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाए, अर्थात् :—

स्पष्टीकरणः—समान रकम के लिए समान पक्षकारों के मध्य निषादित बैंक प्रत्याभूति के नवीकरण की दशा में, देय शुल्क एक हजार रुपए होगा, समस्त अन्य मामलों में, देय शुल्क अनुच्छेद १३ के अनुसार होगा।”;

(चार) अनुच्छेद २५ में, कॉलम (२) में, परंतुक में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(ख) जब कोई लिखत किसी ऋण के समनुदेशन से संबंधित हो, शुल्क एक हजार रुपए होगा”;

(पांच) अनुच्छेद ३८ में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

(क) खनन पट्टा से भिन्न, पट्टा जिसके अंतर्गत अबर पट्टा या उप-पट्टा तथा पट्टे या उप-पट्टे पर देने या किसी पट्टे का नवीकरण करने के लिए कोई करार है—

(एक) जहां कि पट्टा एक वर्ष से कम पांच सौ रुपए अवधि के लिए तात्पर्यित है।

(दो) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए न्यूनतम पांच सौ रुपए के अध्यधीन रहते हुए, प्रीमियम या अग्रिम दिए गए या अग्रिम दिए जाने वाले धन तथा आरक्षित किन्तु पांच वर्ष तक है। किए गए औसत वार्षिक भाटक की रकम के योग का, या संपत्ति के बाजार मूल्य का ०.१ प्रतिशत् इनमें से जो भी अधिक हो।

(तीन) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है जो पांच वर्ष से अधिक है, किन्तु दस वर्ष तक है। न्यूनतम पांच सौ रुपए के अध्यधीन रहते हुए, प्रीमियम या अग्रिम दिए गए या अग्रिम दिए जाने वाले धन तथा आरक्षित किए गए औसत वार्षिक भाटक की रकम के योग का, या संपत्ति के बाजार मूल्य का ०.५ प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो।

(चार) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है जो दस वर्ष से अधिक है, किन्तु बीस वर्ष तक है। न्यूनतम पांच सौ रुपए के अध्यधीन रहते हुए, प्रीमियम या अग्रिम दिए गए या अग्रिम दिए जाने वाले धन तथा आरक्षित किए गए औसत वार्षिक भाटक की रकम के योग का, या संपत्ति के बाजार मूल्य का एक प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो।

(पाँच) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है जो बीस वर्ष से अधिक है, किन्तु तीस वर्ष से कम है। न्यूनतम पांच सौ रुपए के अध्यधीन रहते हुए, प्रीमियम या अग्रिम दिए गए या अग्रिम दिए जाने वाले धन तथा आरक्षित किए गए औसत वार्षिक भाटक की रकम के योग का, या संपत्ति के बाजार मूल्य का दो प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो।

(छह) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है जो तीस वर्ष या उससे अधिक है, या शाश्वतकालीन है, या निश्चित कालावधि के लिए तात्पर्यित नहीं है; न्यूनतम पांच-सौ रुपए के अध्यधीन रहते हुए, प्रीमियम या अग्रिम दिए गए या अग्रिम दिए जाने वाले धन तथा आरक्षित किए गए औसत वार्षिक भाटक की रकम के योग का, या संपत्ति के बाजार मूल्य का पांच प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो।”

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2022

क्र. -235-इक्कीस-अ(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2022 (क्रमांक 17 सन् 2022) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव।

**MADHYA PRADESH ACT
NO.17 OF 2022**

THE INDIAN STAMP (MADHYA PRADESH AMENDMENT) ACT, 2022

[Received the assent of the Governor on the 29th September, 2022; assent first published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 30th September, 2022.]

An Act further to amend the India Stamp Act, 1899 in its application to the State of Madhya Pradesh.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-third year of the Republic of India as follows—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2022

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. The Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) (hereinafter referred to as principal Act), shall in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided.

Amendment of Central Act No. II of 1899 in its application to the State of Madhya Pradesh.

Amendment of Schedule I-A

3. In Schedule I-A to the principal Act,—

(i) in article 6, for clause (d) and the Explanation given thereafter, the following clause and Explanation shall be substituted, namely :—

"(d) If relating to the development or redevelopment of land or property and/or construction or reconstruction thereon, by a person or agency other than owner or lessee of such land or property:

(i) if having the stipulation that after development or redevelopment, such developed or redeveloped property or part thereof shall be held or sold by the developer, by whatever name called, either severally or jointly with the owner or lessee. The same duty as a conveyance (No. 25) on the market value of only that portion of the entire land proposed to be developed or redeveloped which is proportionate to the developed or redeveloped property to be held or sold by the developer jointly or severally, or half of the duty as a conveyance (No. 25) on the market value of the entire land proposed to be developed or redeveloped, whichever is higher.

(ii) for cases not covered by (i) above. 0.25 percent of the market value of the entire land proposed to be developed or redeveloped, subject to minimum of one thousand rupees.

Explanation.—For the purpose of this article, —

(i) "development" and "developer" shall have the same meaning as assigned to them respectively in Section 2(f) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973)

and rule 2(1)(b) of the Madhya Pradesh Special Project and Township (Development, Regulation and Control) Rules, 2011.

(ii) where the developed property is held or sold jointly but the share of the developer is not expressly mentioned in the document, the developer's share shall be deemed to be 100 percent.;"

(ii) in article 7, for clause (b) and Explanation I and Explanation II thereafter, the following clause and Explanations shall be substituted, namely :—

“(b) the pawn, pledge or hypothecation of movable property, where such pawn, pledge or hypothecation has been made by way of security for the repayment of money advanced, or to be advanced by way of loan or an existing or future debt, Where debt or loan amount is:—

(i)	upto Rs. 50,000	Fifty rupees.
(ii)	Above Rs. 50,000 but upto Rs. 5 lakhs	Five hundred rupees.
(iii)	Above Rs. 5 lakhs but upto Rs. 10 lakhs	Two thousand rupees.
(iv)	Above Rs. 10 lakhs but upto Rs. 50 lakhs	Ten thousand rupees.
(v)	Above Rs. 50 lakhs	0.25 percent of the amount of loan or debt subject to a maximum of seven lakh and fifty thousand rupees.

Explanation I.—On an instrument relating to deposit of title deeds or pawn or pledge or hypothecation for securing repayment of money advanced or to be advanced by way of loan or an existing or future debt of a higher amount than one secured by

earlier instruments of like nature, the duty shall be chargeable only on the additional amount in case the proper stamp duty has been paid on the earlier instrument.

Explanation II.— For the purpose of clause (a) of this article, notwithstanding anything contained in any judgement, decree or order of any court or order of any authority, any letter, note, memorandum or writing relating to the deposit of title deeds whether written or made either before or at the time when or after the deposit of title deeds is effected, and whether it is in respect of the security for the first loan or any additional loan or loans taken subsequently, such letter, note, memorandum or writing shall, in the absence of any separate agreement or memorandum of agreement relating to deposit of such title deeds, be deemed to be an instrument, evidencing an agreement relating to the deposit of title deeds.";

(iii) in article 13, in column (2), the following explanation shall be added, namely -

"Explanation.—In case of renewal of a bank guarantee, executed between the same parties for the same amount, payable duty shall be one thousand rupees, in all other cases, payable duty shall be as per article 13.";

(iv) in article 25, in column (2), in proviso, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely—

"(b) When an instrument relates to an assignment of a debt, the duty shall be one thousand rupees" ;

(v) in article 38, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

(a) **Lease**, including an under-lease or sub-lease and any agreement to let or sub-let or any renewal of lease, other than mining lease—

(i) where the lease purports to be for a term less than one year. Five hundred rupees.

(ii) where the lease purports to be for a term of one year or more, but up to five years. 0.1 percent of the sum of the amount of premium or money advanced or to be advanced and the average annual rent reserved, or of the market value of the property, whichever is higher, subject to a minimum of five hundred rupees.

(iii) where the lease purports to be for a term exceeding five years, but up to ten years. 0.5 percent of the sum of the amount of premium or money advanced or to be advanced and the average annual rent reserved, or of the market value of the property, whichever is higher, subject to a minimum of five hundred rupees.

(iv) where the lease purports to be for a term exceeding ten years, but up to twenty years. One percent of the sum of the amount of premium or money advanced or to be advanced and the average annual rent reserved, or of the market value of the property whichever is higher, subject to a minimum of five hundred rupees.

(v) where the lease purports to be for a term exceeding twenty years, but less than thirty years. Two percent of the sum, of the amount of premium or money advanced or to be advanced and the average annual rent reserved, or of the market value of the property, whichever is higher, subject to a minimum of five hundred rupees.

(vi) Where the lease purports to be for a period of thirty years or more, or in perpetuity, or does not purport to be for a definite period. Five percent of the sum of the amount of premium or money advanced or to be advanced and the average annual rent reserved, or of the market value of the property, whichever is higher, subject to a minimum of five hundred rupees.".

इसे वेबसाईट www.govtprint.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राज्यपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 250]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 9 सितम्बर 2025—भाद्र 18, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2025

क्र. 8590-159-इक्कीस-अ (प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 3 सितम्बर, 2025 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव।

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १८ सन् २०२५

भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०२५

[दिनांक ३ सितम्बर, २०२५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ९ सितम्बर, २०२५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई।]

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छिह्नतरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०२५ है।

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

मध्यप्रदेश राज्य को
लागू हुए रूप में
केन्द्रीय अधिनियम,
१८९९ का संख्यांक
२ का संशोधन.

अनुसूची १-क का
संशोधन.

३. मूल अधिनियम की अनुसूची १-क में,-

(१) अनुच्छेद ५ में, कॉलम (२) में, शब्द "पचास रुपए" के स्थान पर, शब्द "दो सौ रुपए" स्थापित किए जाएं।

(२) अनुच्छेद ६ में,-

(एक) खण्ड (१) के उपखण्ड (दो) में, कॉलम (२) में, शब्द "एक हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "पांच हजार रुपए" स्थापित किए जाएं।

(दो) खण्ड (छ ख) में, उपखण्ड (एक) और (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"(एक) यदि संविदा मूल्य पचास एक हजार रुपए¹
लाख रुपए तक है।

(दो) यदि संविदा मूल्य पचास दस लाख रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन
लाख रुपए से अधिक है। रहते हुए संविदा मूल्य का ०.२ प्रतिशत।"

(तीन) खण्ड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"(ज) यदि अन्यथा उपबंध न किया गया हो,—

(एक) जहां मूल्य निहित है न्यूनतम एक हजार रुपए के अध्यधीन रहते हुए,
प्रत्येक दस हजार रुपए या उसके भाग के लिए
एक रुपया,

(दो) उपर्युक्त (एक) के अंतर्गत न आने वाले मामले के लिए एक हजार रुपए।

(३) अनुच्छेद २४ में, कॉलम (२) में, शब्द “एक हजार रुपए” के स्थान पर, शब्द “पांच हजार रुपए” स्थापित किए जाएं।

(४) अनुच्छेद ३२ में, कॉलम (२) में, शब्द “एक हजार रुपए” के स्थान पर, शब्द “पांच हजार रुपए” स्थापित किए जाएं।

(५) अनुच्छेद ३८ के खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“(तीन) उपर्युक्त (एक) एवं (दो) के अंतर्गत न आने वाले खनन पट्टों के लिए ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय पूरी रकम का २ प्रतिशत।”

(६) अनुच्छेद ४१-क में,-

(एक) खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) में, कॉलम (२) में, शब्द “पांच हजार रुपए” के स्थान पर, शब्द “दस हजार रुपए” स्थापित किए जाएं।

(दो) खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) में, कॉलम (२) में, शब्द “दो हजार रुपए” के स्थान पर, शब्द “पांच हजार रुपए” स्थापित किए जाएं।

(तीन) खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) में, कॉलम (२) में, शब्द “दो हजार रुपए” के स्थान पर, शब्द “पांच हजार रुपए” स्थापित किए जाएं।

(चार) खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) में, कॉलम (२) में, शब्द “एक हजार रुपए” के स्थान पर, शब्द “दो हजार रुपए” स्थापित किए जाएं।

(७) अनुच्छेद ४८ में, कॉलम (१) में, स्पष्टीकरण-एक में, शब्द “नाती” के पश्चात्, शब्द “तथा भाई की मृत्यु की दशा में उसकी पत्नी व बच्चे” जोड़े जाएं।

(८) अनुच्छेद ४९ में,-

(एक) खण्ड क के उपखण्ड (क) में, कॉलम (२) में, शब्द “दो हजार रुपए” के स्थान पर, शब्द “पांच हजार रुपए” स्थापित किए जाएं।

(दो) खण्ड ख के उपखण्ड (ख) में, कॉलम (२) में, शब्द “एक हजार रुपए” के स्थान पर, शब्द “पांच हजार रुपए” स्थापित किए जाएं।

(९) अनुच्छेद ५० में,-

(एक) खण्ड (क) में, कॉलम (२) में, शब्द “एक हजार रुपए” के स्थान पर, शब्द “दो हजार रुपए” स्थापित किए जाएं।

(दो) खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) में, कॉलम (२) में, शब्द “दो हजार रुपए” के स्थान पर, शब्द “पांच हजार रुपए” स्थापित किए जाएं।

(तीन) खण्ड (घ) में, उपखण्ड (एक) में, कॉलम (२) में, शब्द “एक हजार रुपए” के स्थान पर, शब्द “दो हजार रुपए” स्थापित किए जाएं।

(चार) खण्ड (ड) में, कॉलम (२) में, शब्द “एक हजार रुपए” के स्थान पर, शब्द “दो हजार रुपए” स्थापित किए जाएं।

(पांच) खण्ड (च) में, कॉलम (२) में, शब्द “एक हजार रुपए” के स्थान पर, शब्द “दो हजार रुपए” स्थापित किए जाएं।

(१०) अनुच्छेद ५३ में, कॉलम (२) में, शब्द “एक हजार रुपए” के स्थान पर, शब्द “पांच हजार रुपए” स्थापित किए जाएं।

(११) अनुच्छेद ६० में, कॉलम (२) में, शब्द “एक हजार रुपए” के स्थान पर, शब्द “दो हजार रुपए” स्थापित किए जाएं।

(१२) अनुच्छेद ६३ में, खण्ड ख में, कॉलम (२) में, शब्द “एक हजार रुपए” के स्थान पर, शब्द “पांच हजार रुपए” स्थापित किए जाएं।

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2025

क्र. 8590-159-इक्कीस-अ (प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३) के अनुसरण में, भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 18 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव।

MADHYA PRADESH ACT

No. 18 OF 2025

THE INDIAN STAMP (MADHYA PRADESH AMENDMENT) ACT, 2025

[Received the assent of the Governor on the 3rd September, 2025; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 9th September, 2025.]

An Act further to amend the Indian Stamp Act, 1899 in its application to the State of Madhya Pradesh.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-sixth year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2025.

Short title and commencement.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. The Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899) (hereinafter referred to as the principal Act) shall in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided.

Amendment of Central Act II of 1899 in its application to the State of Madhya Pradesh.

3. In Schedule I-A to the principal Act,-

Amendment of Schedule I-A.

(1) in article 5, in column (2), for the words "fifty rupees", the words "two hundred rupees" shall be substituted.

(2) in article 6,-

(i) in sub-clause (ii) of clause (e), in column (2), for the words "one thousand rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted.

(ii) in clause (gb), for sub-clause (i) and (ii), the following sub-clauses shall be substituted, namely,-

"(i) If contract value is upto fifty lakh rupees.	One thousand rupees
(ii) If contract value exceeds fifty lakh rupees.	0.2 percent of contract value subject to a maximum of rupees ten lakh.".

(iii) for clause (h), the following clause shall be substituted, namely:-

"(h) If not otherwise provided for,-

(i) Where value is involved. Rupee one for every
ten thousand rupees or part
thereof of the value, subject
to a minimum of one thousand
rupees.

(ii) For the cases not
covered by (i) above. One thousand rupees".

(3) in article 24, in column (2), for the words "one thousand rupees", the words "five housand rupees" shall be substituted.

(4) in article 32, in column (2), for the words "one thousand rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted.

(5) after sub-clause (ii) of clause (b) of article 38, the following sub-clause shall be added, namely:-

"(iii) for mining leases not covered by (i) and (ii) above. 2% of the whole amount payable or deliverable under such lease".

(6) in article 41-A,-

- (i) in sub-clause (i) of clause (a), in column (2), for the words "five thousand rupees", the words "ten thousand rupees" shall be substituted.
- (ii) in sub-clause (ii) of clause (a), in column (2), for the words "two thousand rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted.
- (iii) in sub-clause (i) of clause (b), in column (2), for the words "two thousand rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted.
- (iv) in sub-clause (ii) of clause (b), in column (2), for the words "one thousand rupees", the words "two thousand rupees" shall be substituted.

(7) in article 48, in column (1), in explanation-1, after the word "grandson", the words "and in the event of death of brother, his wife and children" shall be added.

(8) in article 49,-

- (i) in sub-clause (a) of clause A, in column (2), for the words "two thousand rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted.
- (ii) in sub-clause (b) of clause B, in column (2), for the words "one thousand rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted.

(9) in article 50,-

- (i) in clause (a), in column (2), for the words "one thousand rupees" the words "two thousand rupees" shall be substituted.
- (ii) in clause (b), in column (2), for the words "two thousand rupees" the words "five thousand rupees" shall be substituted.
- (iii) in clause (d), in sub-clause (i), in column (2) for the words "one thousand rupees" the words "two thousand rupees" shall be substituted.

- (iv) in clause (e), in column (2) for the words "one hundred rupees" the words "two thousand rupees" shall be substituted.
- (v) in clause (f), in column (2), for the words "one thousand rupees" the words "two thousand rupees" shall be substituted.
- (10) in article 53, in column (2), for the words "one thousand rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted.
- (11) in article 60, in column (2), for the words "one thousand rupees", the words "two thousand rupees" shall be substituted.
- (12) in article 63, in clause B, in column (2), for the words "One thousand rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted.